कुरुक्षेत्र

जुलाई 1983

मूल्य : 1 रुपया

संपादकीय

गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के व्यापक उपाय

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित संवैधानिक लक्ष्य को 1989-90 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जोकि छठी योजना के शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप है। 1982-83 के दौरान कक्षा 1-8 में अतिरिक्त दाखिला निर्धारित 40 लाख के लक्ष्य की तुलना में 40.36 लाख रहा। प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दरों को कम करने तथा स्कूल में शिक्षा जारी रखने वालों की दरों में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। व्यापकीकरण का कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्मुख है। गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में शिक्षा प्रसार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा विशेष बल प्रदान किया गया है। इसीलिए शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और बस्तियों को चुना गया है। जहां पूरे देश का सम्बन्ध है नौ राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए पिछड़े घोषित किया गया है। इन राज्यों में अपेक्षित उपायों पर विस्तार से विचार किया गया है। सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी स्कूलों में चाहे वे सरकारी हों, स्थानीय निकायों के हैं अथवा सहायता प्राप्त हैं प्राथमिक स्तर तथा मिडिल स्तर (उत्तर प्रदेश में मिडिल स्तर पर लड़कों को छोड़ कर) पर शिक्षा निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री की व्यवस्था, वर्दियों की मुफ्त सप्लाई, विशेष रूप से लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां, कमजोर वर्गों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नामांकन बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गांवों में ऐसे बच्चों की संख्या काफी है जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा मुख्यतः फेल होने के डर से, आर्थिक असमर्थता या पढ़ाई में मन न लगने या गांवों में फैली अज्ञानता के कारण होता है। अतः स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की दरों में कमी करने के लिए विशेष उपाय राज्यों को सुझाए गए हैं। इनमें मुख्य हैं---कोई फेल नहीं सहित ग्रेड रहित स्कूल पद्धति, व्यावहार्य जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक स्कूलों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिशु (पूर्व स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोन्नति, पाठ्य सुधार परियोजनाएं, भौतिक सुविधाओं में सुधार, अध्यापकों की दक्षता में सुधार, समाज का सहयोग प्राप्त करना और इन सबसे अधिक उन बच्चों के लिए एक व्यापक अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से औपचारिक स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकते।

साधारण स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है। गांवों में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिएं जहां विकलांग बच्चों को शिक्षा और विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रशिक्षण दिया जा सके और जहां उन्हें शिक्षा के महत्व को भी समझाया जा सके।

प्रौढ़ शिक्षा को छठी पंचवर्षीय योजना और नए बीस सूत्री कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमों में समस्त प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या, जिसकी 1990 तक 11 करोड़ के लगभग हो जाने की संभावना है, को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है। जिसके लिए नई नीतियां और कार्यप्रणालियां तैयार की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां साक्षरता दर बहुत कम है और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, प्रवासी श्रमिकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1982 में देश में लगभग 1.28 लाख प्रौढ़ केन्द्र कार्य कर रहे थे जिनमें कुल नामांकन 36.68 लाख था। वर्ष 1982-83 के दौरान नामांकन 45 लाख तक पहुंच जाने की आशा है।

प्रौढ़ साक्षरता के लिए चल रहे महिला केन्द्रों के साथ-साथ बाल देखभाल के केन्द्र भी कई राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। जहां ग्रामीण महिलाएं बच्चों को उस समय तक देखभाल के लिए छोड़ सकती हैं जब तक वे खुद पढ़ रही हों। और जिन लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों को देखना होता है वे भी इन्हें केन्द्रों के हवाले करके स्वयं पढ़ सकेंगी। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल
सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एल० आर० बत्रा
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406
सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 **ज्येष्ठ–आषाढ़ 1905** **अंक 8**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

गांवों में साक्षरता को प्रोत्साहन — 2
जी० वेंकटरमन * वर्षा दास
सोमनाथ का तपस्वी : बाबा आमटे — 4
डा० दामोदर खड़से
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — 7
लौटना होगा हमें फिर (कविता) — 7
हरिराम रायकवार
प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी कुछ है — 8
प्रभात कुमार सिंघल
ग्रामीण विकास में बकरी पालन की भूमिका — 10
गंगाशरण सैनी
नौकरी ही क्यों ? — 13
महाराज
राजस्थान नहर : मरुप्रदेश की जीवनधारा — 14
जगमोहन लाल माथुर
अधिकांश लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, क्यों ? — 16
जी० रवीन्द्रन नायर
बदलते मूल्य (कविता) — 19
अखिलेश्वर
अकाल पुरुष (कहानी) — 20
डा० देवव्रत जोशी
घु उद्योग की सहायिका—लाख — 22
डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श
नींबू का दैनिक जीवन में प्रयोग — 26
श्रीमती स्नेह दहिया * श्रीमती कृष्णा खाम्बरा
जलकुम्भी : अभिशाप भी, वरदान भी — 27
गणेश कुमार पाठक
साहित्य समीक्षा — 28
केन्द्र के समाचार — 30
माटी मेरे गांव की : (कविता) — 32
अब्दुल मलिक खान

गांवों में साक्षरता को प्रोत्साहन

---जी० वेंकटरमन * वर्षा दाज

प्रायः यह कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। देश की कुल 68 करोड़ 30 लाख जनसंख्या का 76 प्रतिशत से अधिक भाग 5,75,000 गांवों में निवास करता है। जब तक भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ेपन की स्थिति को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक सच्चे अर्थों में यहां का विकास नहीं हो सकता। सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों की उन्नति के लिए साक्षर समाज का विकास करना भी आवश्यक माना गया है।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आम लोगों में पुस्तकें पढ़ने की वास्तविक इच्छा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया था। वे पुस्तकों के प्रति दिलचस्पी को प्रगति और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का माध्यम समझते थे।

उसके बाद से देश में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और पुस्तकों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज भारत विश्व में सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाले दस देशों में से है। शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और नवसाक्षर लोगों में पढ़ने की रुचि बनाए रखने के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री की लगातार उपलब्धता को बनाए रखने की आवश्यकता पैदा हुई है।

मार्च, 1980 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे विश्व पुस्तक मेले में भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन बी टी) ने इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए युनेस्को की सहायता से एक अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया। "पब्लिशिंग इन रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज" में संसार के विभिन्न भागों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और उन्होंने अन्य सिफारिशों के साथ यह सिफारिश भी की कि ग्रामीण पाठकों के लिए पुस्तकें लिखने वाले लेखकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।

इन सिफारिशों के संदर्भ में एन बी टी ने प्रायोगिक परियोजना आधार पर ग्रामीण प्रकाशन का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। यह परियोजना भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और सम्बन्धित क्षेत्रों की भाषाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य स्वयंसेवी एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद शुरू की गई।

शुरू में यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय किया गया जहां राज्य या स्वयंसेवी एजेंसियां सक्रिय थीं। लेकिन साथ ही साथ अधिक पाठ्य सामग्री की आवश्यकता भी महसूस की गई। शुरू में गुजरात और उड़ीसा में यह परियोजना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया।

इन दोनों राज्यों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर था। इन परिस्थितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एन बी टी के प्रारंभिक प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए लाभदायक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। अरब महासागर की सीमा से लगते पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य अपने सूती वस्त्र और नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां की साक्षरता दर काफी अधिक 43.75 प्रतिशत है जब कि औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर 36.17 प्रतिशत है।

दूसरी तरफ, पश्चिमी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य अभी एक विकासशील राज्य है जहां खेती लोगों का मुख्य धंधा है। 2 करोड़ 62 लाख 70 हजार से अधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों की है। वहाँ साक्षरता दर 34.12 प्रतिशत है। आदिवासियों की बहुलता की दृष्टि से इस राज्य का देश में दूसरा स्थान है।

पहला प्रयास

सबसे पहले प्रयास के लिए गुजरात को चुना गया। मई, 1980 में सूरत और बलसाड दो दक्षिण जिलों में एक तीन सदस्यी दल ने मौके पर सर्वेक्षण किया।

इस सर्वेक्षण में अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ परिचर्चाएं, प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण विकास से सम्बद्ध संस्थानों के

दौरे और स्थानीय लेखकों के साथ विचार-विमर्श करना शामिल था। इस सर्वेक्षण के लिए एन बीटी ने सूरत के कोजीभाई देसाई समाज शिक्षण ट्रस्ट, नामक स्वयंसेवी एजेंसी के अनेक विशेषज्ञों की सहायता ली। इस दल ने सूरत में ट्रस्ट द्वारा आयोजित तीन प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं का भी अवलोकन किया। इनमें से पहली कक्षा का आयोजन एक मस्जिद में किया गया जो केवल मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के लिए था। दूसरी कक्षा गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए आयोजित की गई थी। तीसरी कक्षा का आयोजन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बस्ती में किया गया था। ये क्षेत्र के सबसे पिछड़े लोग समझे जाते थे। इसके बाद दल ने बलोड, बारदोली और टुंडी नगरों का दौरा किया जहाँ उन्हें ग्रामीण महिलाओं विशेषकर आदिवासी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आयोजित कक्षाओं सहित अनेक कार्यक्रमों की झलक मिली।

बलसाड में दल ने जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों का दौरा किया जहां स्त्रियों और मछुआरों जैसे विशेष वर्गों तथा आदिवासियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया था।

ग्रामीण इलाकों के लोग, विशेषकर स्त्रियां, आमतौर पर शर्मीले होते हैं। सबसे पहले उनका विश्वास प्राप्त करना होता था। उसके बाद उन्हें सहज बनाना होता था और इसके बाद ही उनकी प्रतिक्रिया या उनका कोई उत्तर प्राप्त किया जा सकता था। यही कारण था कि सर्वेक्षण में कोई लिखित प्रश्नावली नहीं रखी गई थी। लोगों की प्रतिक्रियाएं अनौपचारिक और मित्रतापूर्ण बातचीत के माध्यम से ही प्राप्त की गईं। सर्वेक्षण के दौरान दल ने स्थानीय लेखकों और ग्रामीण विकास के काम में लगे कर्मचारियों से भी बातचीत की। विभिन्न विषयों पर बातचीत की गई और सात लेखकों से निम्नलिखित विषयों पर पांडुलिपि तैयार करने को कहा गया :—

1—"देसी दवाईयां" उन पौधों के बारे में जानकारी देना जिनसे घर पर ही विभिन्न रोगों का इलाज किया जा सकता है।

2—"गोबर से गैस" ग्रामीणों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयंत्र में कूड़े और गोबर का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी देना।

3—कृषि अनुसंधान संस्थानों के दौरे का विवरण जिसमें बेहतर कृषि और पशु प्रजनन के बारे में जानकारी दी जाए।

4—अपने क्षेत्र के आदिवासियों के देवी-देवताओं के बारे में विवरण।

5—गुजरात के तटीय प्रदेशों के लोक-गीतों का विवरण।

6—किसी संग्रहालय के दौरे का विवरण।

7—भगवान कृष्ण के मंदिर और जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान द्वारका का विवरण।

सर्वेक्षण के बाद सूरत के पास दुमाई गांव में एक सप्ताह का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न लेखकों द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं के प्रारूपों पर विचार किया गया और चित्र तैयार करने के बारे में भी परिचर्चा की गई।

पुस्तिकाओं के प्रारूप एन बी टी के स्तर के अनुरूप नहीं थे। इनमें शामिल संयुक्त अक्षर, संयुक्त वाक्य, संस्कृत के शब्द और इसी प्रकार की अन्य बातों से पाठक को समझने में कठिनाई होती थी, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक था। कुछ मामलों में तो सारी सामग्री ही फिर से लिखनी पड़ी क्योंकि प्रारूप रूचिकर नहीं था या उसमें बहुत अधिक जानकारी थी। उदाहरण के तौर पर आदिवासी देवी-देवताओं पर लिखी पुस्तिका वर्षा दास ने दोबारा लिखी। प्रारूप में उन्होंने लम्बे विवरण और तकनीकी जानकारी हटा दी थी। प्रत्येक प्रारूप की अधिकतम सीमा लगभग 1500 रखी जानी थी।

कार्यशाला में प्रत्येक लेखक के साथ बैठकर आर्टिस्ट ने पाठ के आधार पर सरसरे तौर पर रेखाचित्र बनाए। वर्कशाप के अंत में चित्रकार ने एक आदिवासी गांव का दौरा भी किया ताकि वहां के लोगों और बूढ़ों के मनपसंद चित्र तैयार किए जा सकें।

कार्यशाला में तैयार की गई सामग्री को पूर्व-परीक्षण के लिए प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पांडुलिपि का प्रत्येक पैराग्राफ पढ़कर सुनाया गया और कक्षा में आए लोगों से यह पूछा गया कि उन्हें पाठ समझ में आया या नहीं और क्या वह विषय उन्हें अच्छा लगा। पांडुलिपियों में यहां वहां कुछ शब्दों को ही बदला गया अन्यथा सारी पांडुलिपियों की सामग्री लोगों को बहुत अच्छी लगी और समझ में भी आई।

उड़ीसा में जुलाई, 1981 में मौके पर ही सर्वेक्षण किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 1981-1985 के दौरान ग्रामीण प्रकाशन परियोजना को देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में लागू किया जायेगा।

ग्रामीण प्रकाशन पर विचारगोष्ठी

एन बी टी ने साथ ही साथ एक अन्य नीति भी लागू की है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की बेहतर जानकारी देने के लिए ट्रस्ट ने क्षेत्रीय "पुस्तक मेलों" की एक योजना शुरू की है।

एन बी टी इन मेलों के दौरान क्षेत्र की प्रमुख भाषाओं में देहाती क्षेत्रों के लिए पुस्तक प्रकाशन पर विचारगोष्ठियों का भी आयोजन करता है। अक्तूबर-नवम्बर 1980 में दो मेलों का आयोजन किया गया—एक इंदौर (मध्य प्रदेश) में और दूसरा कटक (उड़ीसा) में। इंदौर मेले के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हिंदी प्रकाशनों पर और कटक मेले के दौरान गांवों के लिए उड़िया भाषा के प्रकाशनों पर विचारगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अप्रैल 1981 में कोचीन (केरल में) पुस्तक मेले के दौरान दक्षिण भारत की चार भाषाओं—मलयालम (केरल) तमिल (तमिलनाडु) तेलुगु (आंध्र प्रदेश) और कन्नड़ (कर्नाटक) के प्रकाशनों पर विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। इन विचारगोष्ठियों की सिफारिशें और सुझाव एन बी टी को उन क्षेत्रों का पता लगाने में सहायक होंगे जहां गुजरात और उड़ीसा के प्रयोगों के आधार पर सर्वेक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया जा सके। □

सोमनाथ का तपस्वी : बाबा आमटे

—डा० दामोदर खड़से

मूल चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) से ढ़ाई घण्टे का रास्ता है बस से। यहां तक पहुंचते-पहुंचते यातायात के साधन स्तब्ध होने लगते हैं। घने जंगलों की शुरुआत यहां से होने लगती है। यहां से लगभग 10 कि० मी० की दूरी पर एक गांव है—सोमनाथ। इसे गांव कहना भी बड़ा अटपटा-सा लगता है, क्योंकि गांव के नाम पर एक रेस्ट हाऊस है जिसमें पीछे कर्मचारी रहते हैं और उसी के पास एक मन्दिर, पूजा के लिए एक साधू। इस सोमनाथ से 2 कि० मी० पर एक सोमनाथ और है, जहां जीवन, उल्लास, गति और श्रम का पाठ सिखाया जाता है, और अभावों और मजबूरी के विरुद्ध एक महान अभियान की शुरुआत होती है, जहां श्रम के देवता का यज्ञ करने के लिए देश के कोने-कोने से 'युवाभक्त' आते हैं, जिसका पुजारी है—बाबा आमट।

> "हमारे पास जो कुछ भी बचा है और जो उपलब्ध है, उसका अधिकतम उपयोग कर हम जीवन की क्यारियां अपने ढंग से हरी-भरी कर सकते हैं"—बस इसी बात को सार्थक करने के लिए एक रेसलर. . . एक नेता . . . . एक वकील अब एक कुष्ठ रोगी सेवक बन गया।

सोमनाथ भारतीय अतीत के मोड़ का प्रतीक है। अतीत . . . . मनुष्य के जीवन का बहीखाता होता है उसके सुख और दुखों का। लेकिन सुख से आगे बढ़ते हुए आदमी के सामने एक स्वप्निल भविष्य होता है। पर सुख से टूट कर हमेशा के लिए दुखों की खाई में गिरे आदमी के सामने ? उसके सामने अंधकार ही अंधकार। अतीत. . . एक ऐसा अतीत जिसने "आज" के लिए मात्र पश्चाताप ही दिया, ऐसे प्रकृति और भाग्य के हाथों ठगे अपंगों, कुष्ठ रोगियों और अंधों के लिए बाबा आमटे एक वर्तमान बनकर खड़ा है। जिसने अतीत के कुठाराघात को ठोकर मारी है और अंगुलीहीन हथेलियों के लिए एक सार्थक भविष्य दिया है। सोमनाथ . . . . . इन्हीं कुष्ठ रोगियों और असहायों, समाज बहिष्कृतों के लिए ऐसा मन्दिर सिद्ध हुआ जहां ये सब लोग निरपेक्ष भाव से श्रम से, श्रम के द्वारा अपने जीवन में स्वाभिमान की पूजा करते हैं। कुष्ठ रोग . . . . . कितना भयावह रोग है, जिसे अपने करीबी लोग भी नहीं सह पाते।

सोमनाथ का तपस्वी बाबा आमटे इस बात में विश्वास रखता है कि हमारे पास जो कुछ भी बचा है और उपलब्ध है, उसका अधिकतम उपयोग कर हम जीवन की क्यारियां अपने ढंग से हरी-भरी कर सकते हैं, बस, इसी बात को सार्थक करने के लिए एक रेसलर . . . . एक नेता . . . . एक वकील अब एक कुष्ठरोगी सेवक बन गया। जिसने अपने जीवन के तीस वर्ष इसी सेवा में लगा दिए, ताकि अंगुलीविहीनों में प्रकृति के कुठाराघात से संघर्ष करने का आत्म-विश्वास पैदा किया जा सके। प्रकृति द्वारा जीने के सारे अधिकार तो वह उनको वापस नहीं दे सकता पर उसने एक हारे हुए, निराश और उपेक्षित जीवन को, भागते हुए विश्वास को, जमीन पर खड़े होकर लड़ने का आत्म-विश्वास दिया है और उनमें स्वाभिमान से जीने के अधिकार के प्रति जागरूकता का संचार किया है। उसने एक ऐसे सोमनाथ का निर्माण किया है, जहां क्रांति शब्द शब्दकोशों व भाषणों की मर्यादा लांघ कर खेतों और मैदानों पर पहुंच गया है। इन क्रांतिकारी विचारों का जन्मदाता है—बाबा आमटे के नाम से परिचित सुकरात-नुमा प्रौढ़ व्यक्ति। बस यही सब कुल मिलाकर सोमनाथ है।

सोमनाथ प्रकल्प

सोमनाथ प्रकल्प सेवाभावी नवयुवकों द्वारा सुसज्जित एक केन्द्र है, जहां प्रत्यक्ष श्रम की साधना की जाती है। देश के कोने-कोने से विश्वविद्यालयों के युवा इसके शिविर में भाग लेने आते हैं। सारी विभिन्नताओं को तिलांजलि देकर यहां पहुंचे युवा एक कतार में खड़े घमेलों को फूल-से एक दूसरे तक फेंकते जाते हैं और आकार लेने लगता है—एक तालाब। सुबह पांच बजे से रात दस बजे तक विभिन्न संस्कारों को समर्पित करता हुआ यह सोमनाथ हर वर्ष "श्रम संस्कार छावनी" का आयोजन करता है।

सोमनाथ में उन लोगों को बसाया गया है जो कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं परन्तु समाज का विश्वास वे फिर से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बहिष्कृत जीवन को प्रतिष्ठा, सोमनाथ का दूसरा नाम है। इन लोगों के पुनर्वसन की कल्पना स्पष्ट करते हुए बाबा आमटे ने कहा, "एक बार हिमालय की तराइयों में साधना ताई के साथ यात्रा करने के लिए निकला। काफी साधु-सन्यासी मैंने वहां देखे। पर जब एक वैरागी को गौर से

देखा, [redacted] कोई और नहीं मेरे ही आनन्द-वन से कुष्ठ-रोग से स्वस्थ होकर निकला हुआ व्यक्ति था जो, सामाजिक बहिष्कार से तंग आकर जोगी बनने पर मजबूर हो गया। तभी मैंने सोचा इन्हें मात्र स्वस्थ करना पर्याप्त नहीं है; बल्कि इन्हें एक प्रतिष्ठित जिन्दगी उपलब्ध करने के लिए इनके पुनर्वसन की भी आवश्यकता है।" बस उसी वक्त जीवित सपनों के इस यात्री ने अपनी जीवन-यात्रा में एक कल्पना बसाई—सोमनाथ।

सोमनाथ में "शांतिसदन" है, जहां लगभग 275 रोग मुक्त लोग रहते हैं। लगभग 100 रोगमुक्त युवक-युवतियों के विवाह भी सम्पन्न किए गए और उन्हें वहीं बसाया गया। ये सब वहां खेती का काम करते हैं। वहां "श्रम निकेतन" में लगभग 50 कुशल कामगार हैं जो बढ़ईगिरी, लुहारी तथा अन्य लघु उद्योगों के साथ-साथ कृषि-कार्य में निपुण हैं। यहां दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सागसब्जी के उत्पादन का कार्य भी कराया जाता है। इस पुनर्वसन के निर्माण कार्य एवं संरचना को देखकर आधुनिक गांवों के चित्र साकार होने लगते हैं। मनोरंजन के साधन रेडियो, अखबारों आदि माध्यमों से देश की नवीनतम स्थिति से वे साक्षात्कार करते रहते हैं।

आनन्द वन

आनन्दवन, वरोरा दुनिया में अपनी तरह का पहला स्थान है वहां महाविद्यालय के व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कुष्ठ-रोगियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। उन्हीं द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादन से आनन्दनिकेतन का कालिज चलता है। इस कला, वाणिज्य और कृषि महाविद्यालय में लगभग 1,200 से 1,300 तक छात्र अपना अध्ययन पूरा कर रहे हैं। इस संपूर्ण प्रकल्प की देखभाल बाबा आमटे के बड़े बेटे डा० विकास आमटे करते हैं।

यहां साधारणतः 700 कुष्ठरोगी भर्ती किए जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में उनका इलाज यहीं से शुरू होता है। यहां पुनर्वसन और इलाज हेतु स्विट्जरलैण्ड से आर्थिक सहायता मिली है जिसके द्वारा कुछ रोगियों के लिए इमारतें बनाई गई हैं।

सुपरिचित साहित्यकार पु० ल० देशपांडे द्वारा दिए गए एक लाख रुपये के अनुदान से "मुक्तांगण" की स्थापना की गई है। "मुक्तांगण" में अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

भाम्रागढ़

भाम्रागढ़ जिले के दूरवर्ती हिस्से में बसा है। यहां माडिया और गोंड जाति के लोग रहते हैं। आज अणु-परमाणु के लिए झगड़ रहे वैज्ञानिक युग में यहां का आदमी मामूली दवाइयों के अभाव में अपना जीवन खो बैठता है और छोटी-छोटी जीवनावश्यक चीजों के लिए तरस कर रह जाता है। पर इन सारे अभावों के वे इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इसे वे "नियति का फैसला" मान कर चलते हैं।

एक लाख का उपयोग भाम्रागढ़ के लिए

फाय फाउण्डेशन द्वारा बाबा आमटे को एक लाख रुपए जो पुरस्कार स्वरूप मिले हैं; बाबा ने उसे भाम्रागढ़ की आदिवासी बस्ती के विकास के लिए खर्च करने की घोषणा की है। देश के बीचों-बीच बसा भाम्रागढ़ देश के अन्य हिस्सों से बरसात में तीन महीनों के लिए पूरा अलग-सा हो जाता है। बीहड़ जंगल, आवागमन के साधनों का अभाव और अविकसित रास्ते इसके प्रमुख कारण हैं। देश में चले रहे राजनैतिक, सामाजक, आर्थिक और इसी तरह की अन्य क्रांति के शोरशराबे से कोसों दूर इस इलाके को बाबा आमटे नमक जैसी अत्यन्त प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। इन सब विकास कार्यों के अतिरिक्त बाबा आमटे यह मानकर चलते हैं कि मात्र सहायता या सहानभूति देने से कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसके लिए आत्मविश्वास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए वे इन क्षेत्रों में जन-जागृति के साथ-साथ बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं।

बरसात के दिनों में तरह-तरह की बीमारियां यहां के निवासियों को घेर लेती हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए बाबा ने वहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले हैं जहां निःशुल्क सेवा की जाती है। यहां के सम्पूर्ण केन्द्र की देखभाल बाबा आमटे के छोटे बेटे डा० प्रकाश आमटे करते हैं।

चिकित्सा के साथ-साथ उसमें चेतना की बात को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा—"वह जमीन बड़ी उपजाऊ है। क्रांति के बीज यदि वहां बोए गए तो वे सामान्य भुट्टों से कहीं बड़े भुट्टे देंगे।" कारण बताते हुए उन्होंने कहा—"सदियों तक इन आदिवासियों को क्रांति की दौड़ में शामिल नहीं किया गया। यदि आज उन्हें किसी भी क्रांति के लिए जगाया गया तो वे सदियों से दबे जोश का उबाल दिखाने में सबसे आगे होंगे।"

आज बुद्धिजीवी वर्ग मात्र बौद्धिक-विलास में ही अपनी इतिश्री समझता है। इसी संदर्भ में एक शिविरार्थी ने पूछ ही लिया "बाबा, क्या आपको यह नहीं लगता कि इन पिछड़े लोगों को उनकी आवश्यकताओं का एहसास कराया जा रहा है। वे जिस ढंग का आदिम जीवन जी रहे हैं, उसमें खुश हैं . . . . . ।" प्रश्न चौंकाने वाला था। उत्तर तर्कों और स्पष्टीकरण से परे अनुभव का एक छोटा-सा टुकड़ा था। यों कह लीजिए उस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने एक घटना का उदाहरण दिया : कुछ लोग आदिवासियों के जीवन को करीब से देखने के लिए आए। ड्राइवर ने मोटर छोड़कर वह कपड़ा फेंक दिया। उस गन्दे कपड़े पर इतने बच्चे टूट पड़े मानों शहरों के चौक पर कटी पतंग लूट रहे हों। उन्होंने प्रति प्रश्न किया—'क्या उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना उनके लिए नई आवश्यकता पैदा कर उन्हें दुखी करना है?" . . . जहां पेड़ों की छालों से आज भी मौसम के आक्रमण रोके जाते हों, वहां इस तरह की बात सोचना निरे बौद्धिक दिवालिएपन के प्रदर्शन के अलावा और क्या हो सकता है?

राष्ट्रीय जीवन का आदर्श

बाबा आमटे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के एक आदर्श का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में उनकी पत्नी, उनके दो बेटे, उनकी बहुएं, अर्थात् समूचा परिवार तन्मयता से शामिल है।

बाबा इस बात में विश्वास नहीं रखते कि इन राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों को

करने के लिए ब्रह्मचर्य के जीवन की ही आवश्यकता है। उनके अनुसार इन कामों के लिए और अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। सारे सांसारिक उत्तरदायित्वों और आह्वानों को स्वीकार करके भी राष्ट्रीय कार्य बड़ी स्वच्छता से किया जा सकता है; इसका एक उदाहरण बाबा ने सब के सामने दिया है। इस आमटे परिवार के सानिध्य में हर व्यक्ति अपने आपको उस "मिशन" के एक सक्रिय सदस्य के रूप में पाता है। इतना स्नेह इस परिवार से सब को मिलता है।

आदर्श की तलाश किसी शब्दकोश में नहीं की जा सकती। बल्कि जीवन के निर्णायक क्षणों में यदा-कदा ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य को अपने भीतर के आदर्शों का परिचय देना होता है। आदर्श का पारिभाषिक स्वरूप अपने आप में कृति के बिना एक छलावा ही है। इसलिए बाबा कृति को महत्व देते हैं। किसी विषय पर लम्बा-चौड़ा भाषण या दशन पर डींगें हांकने से थोड़ा-सा काम वे ज्यादा बेहतर समझते हैं। उपदेशों से बचना महात्मा लोगों के काम हैं, नहीं तो आज की दुनिया में दो-चार स्वागत-समारोह पा जाने के बाद आदमी झट उपदेशों पर उतर आता है और खुद उसकी विरुद्ध दिशा में।

मैंने पढ़ा है—एक सुकरात था, जो चौराहों पर बैठकर युवकों से चर्चा किया करता था—राजनैतिक विषयों पर जिसकी चर्चाओं ने यूनान देश को बड़े-बड़े दार्शनिक और चिन्तक दिए। बस. . . . यहां के चर्चा-सत्रों में मुझे कुछ इसी तरह महसूस हुआ। एक समुदाय सामने बैठा है जिसे सफेद हाफ-पैण्ट और बनियान पहने एक व्यक्ति लगातार सम्बोधित कर रहा था परन्तु यह सब "वन-वे" नहीं था। सारे शिविरार्थी इसमें भाग लेते थे। वहां बैठे-बैठे मैं सोच रहा था कि इन श्रम-संस्कार छावनियों में आए युवक यहां के संस्कारों को कैसे भुला पाएंगे ? . . . . और इन चर्चा-सत्रों की चर्चाएं कैसे व्यर्थ हो सकती हैं, जो श्रम के पसीने से नहा कर उपजी हैं।

बाबा आमटे विज्ञान को पूरा सम्मान देते हुए सहज जीवन जीने के पक्षधर हैं। जीवन का उल्लास श्रम में है; विलास में नहीं। वे चाहते हैं कि इसके लिए तमाम व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जहां भी परिवर्तन की आवश्यकता हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देकर करना चाहिए। जीवन के समग्र रूप-राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हैं। इन्हें टुकड़ों-टुकड़ों में देखना बेमानी होगी। इन सब का संतुलित योग ही आदमी को एक सम्मानजनक जिन्दगी दे सकता है। प्रेम और स्नेह जीवन का आधार है। उस बीहड़ जंगल में ऐसी स्नेहिल स्मृतियां हैं जिसे दूर-दराज से गांव-शहर से आए युवक अपने साथ समेट ले जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और विचारों का आदान-प्रदान इसी धरती पर होता है। साथ लौटते समय अपने विचारों के मित्र उपहार स्वरूप यहां से मिलते हैं। शिविर समाप्त होने पर बाबा आमटे सब को व्यक्तिगत रूप से विदा देते हैं। आखिर वे कौन से सम्बन्ध हैं जो दस दिनों में जाते समय आंखों की मर्यादा लांघ कर स्नेह की जमीन सींचने लगते हैं . . . . .।

केन्द्रीय हिन्दी कक्ष,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर,
पुणे-411 005

वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकी तेजी से गांवों तक पहुंचाएं

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वैज्ञानिकों से नई प्रौद्योगिकी को तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए हमें यह भी तय करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक हम किस तरह की प्रौद्योगिकी पहुंचाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिकी नीति पर जो वक्तव्य तैयार किया है उस पर अमल के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाएंगे।

प्रधान मंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में उचित तालमेल न होने से विज्ञान व प्रौद्योगिकी के पूरे लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी विकसित हो जाने के बावजूद नगरपालिकाएं कई बातों में पुराने ढर्रे को नहीं बदल रही हैं।

श्रीमती गांधी ने कहा कि वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य तथा उद्योगों के बीच तो तालमेल जरूरी है ही, अनुसंधान का दूसरे उपभोक्ताओं के साथ भी सीधा तालमेल होना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद् महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने कहा कि परिषद को करीमनगर जैसी ग्रामीण विकास परियोजनाएं दूसरे क्षेत्रों में भी शुरू करनी चाहिए। □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि (अप्रैल-मई) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पंजाब में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 1983–84 के दौरान सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 234.00 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है । 1982–83 के दौरान संकलित सूचना के अनुसार, 30 लाख लाभभोगियों के लक्ष्य के मुकाबले में 32.64 लाख लाभभोगियों को लिया गया है जिनमें से 13.46 लाख लाभभोगी जो कुल लाभभोगियों के 41.2 प्रतिशत बनते हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखते हैं। 32057.90 लाख रुपये की धनराशि को उपयोग में ले लिया गया है । 66014.33 लाख रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया है । तथापि, यह सूचना अनन्तिम और अधूरी है क्योंकि अनेक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अभी सूचना आनी रहती है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में 26 से 30 अप्रैल, 1983 तक पांच दिन की एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। इस गोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के निष्पादन की पुनरीक्षा करना तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत निगरानी, प्रबोधन तथा प्रशिक्षण आदि की वर्तमान पद्धतियों की जांच करना और इसे मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें करना था ।

प्रशिक्षण

इस मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास तथा विस्तार करने के मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद (कार्ट) का गठन किया है जिसे हाल ही में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है । सरकार ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद के नियमों के अनुसार 22 अप्रैल, 1983 को इसकी साधारण निकाय तथा कार्यकारी समिति का गठन कर लिया है ।

कृषि विपणन

कृषि उपज बाजारों की आयोजना के लिए बाजार आयोजना तथा अभिकल्प केन्द्र द्वारा अपनाई गई सर्वेक्षण तथा आकड़ा प्रोसेसिंग की तकनीकों के बारे में चार दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । विचार-विमर्श में विभिन्न राज्यों के कुल मिलाकर 20 अधिकारियों ने भाग लिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से इंडिया इटरनेशनल सैन्टर, नई दिल्ली में 4 से 11 अप्रैल, 1983 तक भूमि जोतों की चकबन्दी के बारे में राष्ट्रमण्डल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि मंत्री ने किया तथा समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री ने की थी । इस कार्यशाला में बंगलादेश, साइप्रस, भारत, मलेशिया, मालावी, श्रीलंका, सैन्ट लूसिया तथा जिम्बावे के प्रतिनिधियों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कुछ पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था । कार्यशाला में इन पर बल दिया गया था (1) भूमि सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि सुधार (2) चकबन्दी कार्य (3) चकबन्दी कार्यों से प्राप्त अनुभव ।

श्री जे० सी० जेटली, संयुक्त सचिव को 13 से 15 अप्रैल, 1983 तक जिनेवा में विशेष सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के कार्यक्रमों के समर्थन में हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पांचवीं संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए निधि प्रतिनियुक्त किया गया था । □

लौटना होगा हमें फिर

लौटना होगा हमें फिर
खेत-खलिहानों की तरफ ही !
क्योंकि :
शहरों की जमीनें
ढंक गई हैं
ककरीट,
पत्थर,
ईंट-सीमेंट,
कोलतार और
लोहे की छड़ों से ।
धूप ;
धरती पर
पहुंच पाती नहीं है ।
हवा ;
कड़वी-विषैली हो गई है,
अन्न का दाना—
दुकानों में छुपा है ।
लोग कहते हैं यही बस
आज शहरों में कहीं
इंसान दिखता ही नहीं है ।।
जिस तरह से
घर-मकानों की ऊंचाई—
बढ़ रही है,
उस तरह से,
आदमी बौना हुआ है ।
इसलिए अब
लौटना होगा हमें फिर
खेत खलिहानों की तरफ ही ।

हरिराम गायकवार

कभी-कभी चर्चा चलती है कि अब प्रौढ़ों को पढ़ा कर क्या होगा ? इससे क्या लाभ होगा ? इतना धन इनको साक्षर करने में व्यय करेंगे तो क्यों नहीं इसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई पर किया जाए

इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि वास्तव में ऐसा कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। प्रौढ़ों को पहले साक्षर कर उनके मन में यह बात बैठानी है कि शिक्षा के ज्ञान से क्या लाभ होता है। जो अभी तक स्वयं शिक्षा के प्रकाश से दूर हैं अपने बच्चों को शिक्षा की रोशनी क्या दे पाएंगे। वे जब साक्षर होंगे तभी उनके मन में यह भावना भी जागेगी कि वे अपनी सन्तान को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजें और वास्तव में यही भाव उत्पन्न करना इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है ।

गावों में रहने वाले प्रौढ़ ग्रामवासी अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति सजग हो जाएं तो आगे से ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और सदियों से चली आ रही न पढ़ने की परम्परा टूट जायेगी ।

सामाजिक चेतना

साक्षरता के साथ-साथ इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना है। आज भी ग्रामवासी पुरखों की परम्पराओं को तोड़ने के लिए एकाएक तैयार नहीं होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन परम्पराओं से होने वाली हानियों से भी अवगत कराया जाता है जिनसे वे जुड़े हैं । मसलन बाल विवाह, शराब पीना, जुआ खेलना या सट्टा लगाना, दहेज प्रथा आदि ।

ग्रामवासी इन सामाजिक कुरीतियों से जुड़े हैं । पोस्टरों, कथा कहानियों, कठ-पुतलियों व चलचित्रों के माध्यम से यह बात उनके मन में बैठाने का प्रयास किया जाता है जिससे वे इन कुरीतियों को त्याग दें ।

वास्तव में देखा जाए तो इन सामाजिक बुराइयों को त्यागने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होकर जब तक ग्रामवासी बाहरी दुनिया के कार्य-क्लापों के सम्पर्क में नहीं आएंगे वे अपनी परम्पराओं से घिरे रहेंगे । अतः ऐसी स्थिति शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है कि वे अपनी सामाजिक बुराइयों का त्याग कर सकें ।

सामाजिक बुराइयों के त्याग के साथ साथ गांवों में परिवार सीमित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का महत्त्व नकारा नहीं जा सकता । खासकर महिला केंद्रों पर

प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी कुछ है

*

प्रभात कुमार सिंघल

अक्सर नसबंदी की चर्चा कर वे एक-दूसरे को प्रेरित करती हैं। शिक्षित होने पर उन्हें इस बात का महत्त्व मालूम होगा कि परिवार सीमित रखने के क्या लाभ हैं। सीमित परिवार से उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा ।

क्रियात्मकता का विकास

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से यह प्रयास भी किया जाता है कि केन्द्रों पर ही कोई ऐसी क्राफ्ट्स योजना प्रारंभ की जाए जिससे वे आर्थिक उपायों के लिए कुछ सीख सकें । महिला केंद्रों पर सिलाई, बुनाई आदि कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें उनके क्षेत्रों के आसपास होने वाले कार्यों के विषय में भी जानकारी दी जाती है । अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहे तो उसे उसकी जानकारी व बैंक से ऋण व सरकारी सहायता के विषय में भी जानकारी दी जाती है ।

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा

जहां तक राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा, कार्यक्रम के विकास व प्रगति का प्रश्न है वर्ष 1982–83 में राजस्थान में 7 हजार प्रौढ़ शिक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे थे । इनका पाचवां हिस्सा महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का है । एक हजार केंद्र ऐसे चल रहे हैं जिनमें स्त्री-पुरुष साथ-साथ पढ़ते हैं । राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में महिला केन्द्रों को चलाने में कठिनाई आती है परन्तु प्रयास जारी है । प्रौढ़ शिक्षा पर इस वर्ष 1 करोड़ 35 लाख रुपये राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं । इन केन्द्रों से प्रति केन्द्र तीस व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं ।

इसके साथ ही नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं अनुवर्ती परियोजना भी प्रारंभ की गई है । इसके अन्तर्गत 65 केन्द्र शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे जिसमें नए पढ़े-लिखों को उनके अनुकूल पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पोस्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राजस्थान के कोटा जिले में चल पुस्तकालय का प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1982–83 में प्रारंभ कर दिया जाना था। इसके तहत 70 गांवों के चयन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक साइकिल पर पत्रिकाएं, पुस्तकें व सामाचार पत्र, एक दिन में एक गांव में पहुंचाए जाने हैं। एक दिन निश्चित कर नव साक्षरों ने जो अध्ययन किया उस पर चर्चा करने का भी प्रावधान है।

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य गत वर्ष काफी संतोषजनक रहा तथा उसी के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 1982–83 में तीन हजार नये केंद्र और खोले जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है। इस समय 15 से 35 वर्ष आयु के प्रौढ़ों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु किसी भी उम्र का व्यक्ति पढ़ने आता है तो उसका स्वागत किया जाता है ।

[illegible] अपनी स्थानीय भाषा बोलते [illegible] में ही [illegible] [illegible] मानकर बोलीभाषा के [व]र्णमाला तैयार करने की दिशा में सोचा [ग]या। राजस्थान में जयपुर वालों के लिए [ढू]ढाड़ी भाषा में, बीकानेर के लिए मारवाड़ी [भ]ाषा में वर्णमाला तैयार कर लिए [ग]ये हैं। अब हाड़ौती भाषा की वर्णमाला [क]ोटा, बून्दी व झालावाड़ क्षेत्रों के लिए [त]ैयार की जा रही है। यह केवल इसलिए किया जा रहा है कि प्रौढ़ों को साक्षर करने में आसानी रहे।

साथ ही राजस्थान में 900 केंद्र ऐसे भी चल रहे हैं जिन्हें निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये केन्द्र उदयपुर, बीकानेर व भीलवाड़ा में संचालित हैं। शीघ्र ही कुछ और निजी संस्थाएं इस कार्य को प्रारंभ करेंगी।

जिन केंद्रों के प्रौढ़ों या अनुदेशक या किसी के भी पास ट्रांजिस्टर होता है तो उसे ग्रामीण भाइयों के लिए प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को सभी प्रौढ़ों को सुनवाने के लिए सैल प्रौढ़ शिक्षा विभाग से उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका उद्देश्य उन्हें देश में हो रही विविध गतिविधियों से परिचित कराना है। इन केन्द्रों पर विविध खेल कूद प्रतियोगिताएं, भजन, कीर्तन अर्थात मनोरंजन व नैतिकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम कराए जाते हैं।

यह कार्यक्रम राजस्थान में जेलों में कैदियों के लिए तथा जेल कर्मचारियों के अनपढ़ परिवारों के लिए भी चलाया जाता है। इसकी भावना यह है कि जो कैदी पांच-छः वर्ष के लिए सजा प्राप्त है वह पढ़-लिख कर अच्छा नागरिक बनने की बात सोच सके और उसका कुछ सुधार हो सके।

पंचायत समिति सुलतानपुर के गांव अमरपुरा जहां सभी पिछड़ी जाति के व्यक्ति रहते हैं के एक केन्द्र के रामदेव, लटूर चन्द्र व रामरतन ने अपना नाम स्लेट पर लिख कर दिखाया। लटूरचन्द्र ने बताया कि 'मास्टर जी (अनुदेशक) हमें रोज बुलाने आते थे। अब हम स्वयं आने लगे हैं। इस प्रकार इस केंद्र पर सभी प्रौढ़ साक्षर हो चुके हैं। पढ़ने में रूचि लेने लगे हैं। इसी पंचायत समिति के खण्ड ग्राम के केन्द्र पर प्रौढ़ तीस तक गिनती लिखना और अपना नाम लिखना सीख गए हैं।

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सम्पूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है। प्रयास निरन्तर चलते रहे तो निश्चय ही सामाजिक जन चेतना जागृत करने व क्रियात्मकता के अपने उद्देश्यों में यह कार्यक्रम जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है निश्चित रूप से अत्यधिक सफल कार्यक्रम होगा। आज का बच्चा कल का राष्ट्र निर्माता है। तो ग्रामीण भाइयो, क्यों न इस राष्ट्र निर्माता का भविष्य आप साक्षर हो कर संवारें। एक अनुमान के आधार पर 15 से 35 वर्ष आयु के लगभग 70 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का महान कार्य राजस्थान में करना है। जिसके लिए राज्य सरकार व प्रौढ़ शिक्षा विभाग सतत् प्रय[त्नशी]ल है। □

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी
सूचना केन्द्र, कोटा (राज०)

समाज सेवा में रत
विकलांग आलूराम

प्रभाशंकर उपाध्याय

आलूराम भील के दोनों हाथ बेकार हैं। अतः वह किसी वस्तु को पकड़ने में समर्थ नहीं है। बालपन में उपेक्षा का शिकार आलूराम किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा सका। वह भेड़-बकरियां चराया करता था। एक दिन सहृदय मामा ने उसे पैर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। थोड़े अभ्यास के बाद वह लिखने लगा। अब वह इतना सुन्दर लिखता है कि मैं उसकी लिपि देखकर असमंजस में पड़ गया था कि सचमुच यह पैर से लिखा गया सुलेख है। अभ्यास हो जाने के बाद वह विद्यालय जाने लगा था।

एक दिन उसे पंडित जवाहरलाल नेहरु के सन्मुख प्रदर्शन का सौभाग्य मिला। जब सचिव ने पंडित जी को बताया कि सन्मुख खड़ा युवक पैर से कुल्हाड़ी पकड़ कर लकड़ी फाड़ लेता है। उसका निशाना इतना अचूक है कि पैर से पत्थर फेंक कर उड़ते पक्षी का शिकार कर लेता है तो वे सहसा विश्वास न कर सके थे। लेकिन युवक के प्रदर्शन को देखकर नेहरू जी प्रभावित हुए। उन्होंने आलूराम को उसकी दक्षता एवं समाजसेवा के लिए पुरस्कृत किया। आलूराम अपने कार्यों में स्वावलम्बी है। मसलन, वह स्वयं कपड़े धो लेता है। पैर में वह साबुन की बट्टी पकड़ कर कपड़ों पर मल लेता है। तत्पश्चात, पैरों से कपड़े थपथपा लेता है।

पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तान से सटे जिला बाड़मेर के सैंडवा ग्राम का निवासी आलूराम अपनी विकलांगता के बावजूद, अनवरत रूप से समाज-सेवा में जुटा हुआ है। तकरीबन सैंतीस वर्ष की आयु का विवाहित आलूराम, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार-नियोजन, मद्यनिषेध अल्प-बचत एवं अछूतोद्धार कार्यक्रमों का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। उसकी सराहनीय सेवाओं को देखते हुए, नेहरू युवक केन्द्र बाड़मेर ने आलूराम को अपने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, सैंडवा का प्रौढ़-शिक्षक नियुक्त किया। अनेक वर्ष तक वह एक सफल प्रौढ़-शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करता रहा। □

द्वारा : स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर, पनघट मार्ग, बाड़मेर (राजस्थान)

ग्रामीण विकास में

बकरी पालन की भूमिका

गंगाशरण सैनी

बकरी एक महत्वपूर्ण पशु है, परन्तु भारत में इसके पालन-पोषण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। बकरी पालन के विषय में एक भ्रामक धारणा फैली हुई है, जिसके कारण ग्रामीण जनता बकरी पालन को अपनाने में संकोच करते हैं। बकरी-पालन एक आर्थिक स्रोत है, अतः इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। 1961 में बकरी के दूध का उत्पादन 68150 टन था, जिसमें एक ब्यात में प्रति बकरी 50 कि० ग्राम दूध था, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। बकरी के दूध उत्पादन में वृद्धि की अनेक सम्भावनाएं हैं, जिनमें बकरी की उन्नत नस्लों को वैज्ञानिक विधि से पालन-पोषण करना प्रमुख है। बकरी से दूध के अलावा मांस, चमड़ा, पशमीना, ऊन, खाद आदि की उपलब्धि भी होती है। बकरी के मलमूत्र से उच्च-कोटि की खाद बनती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गांवों में बकरी की खाद को खेतों में डालकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें अपने खेतों से अधिक कृषि उपज प्राप्त होगी।

भारत सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देना चाहती है और इस व्यवसाय के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। बकरी पालन सम्बन्धी आवश्यक जनकारी का सविस्तार वर्णन नीचे दिया गया है :—

बकरी पालन के लाभ

●बकरी अन्य पशुओं की तुलना में काफी सस्ती मिलती है और जल्दी लाभ देना शुरू कर देती है।

●गाय के दूध की तुलना में बकरी का दूध जल्दी और सुगमता से पच जाता है।

●बकरी केवल 18 महीने की आयु में ही बच्चा पैदा करना शुरू कर देती है, जबकि अन्य पशुओं के बच्चे 3–4 साल बाद पैदा होना शुरू होते हैं।

●बकरी के दूध में 3.5 प्रतिशत वसा होती है और इतनी ही मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है

●पशुओं की तुलना में इसकी देखभाल अत्यन्त सरल है। दूसरे इसे हर प्रकार का चारा प्रिय है। ।

●बकरी का दूध गाय के दूध जैसा पौष्टिक होता है।

●यदि बकरी को रेवड़ से अलग रखा जाए, तो उस के दूध में कोई विशेष प्रकार की गन्ध भी नहीं आती है।

●बकरी क्षय रोग (टी०बी०) की प्रतिरोधी होती है। अतः इसका दूध पीने से क्षय-रोग कभी नहीं होगा। जबकि क्षय रोग से ग्रसित गाय और भैंस के दूध को सेवन करने से क्षय रोग हो सकता है।

●देश के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी जिस से दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उलब्धता में वृद्धि होगी।

●ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

●ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

बकरी की नस्लें

बकरी पालन में उनकी नस्लों का महत्व पूर्ण स्थान है, जिसकी ओर आमतौर से ध्यान नहीं दिया जाता है। बकरी पालकों को इस व्यवसाय को प्रारम्भ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल अच्छी नस्ल की बकरियों को ही पालें, ताकि उनसे अधिक दूध मिल सके। भारत में बकरी की बहुत-सी नस्लें पाली जाती हैं। सर्व साधारण की जानकारी के लिए उनके नामों का उल्लेख नीचे दिया गया है :—

हिमालयन क्षेत्र (पर्वतीय क्षेत्र) इस क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र में निम्न जातियां पाली जाती हैं :—

1. हिमालयन नस्ल

2. [illegible]ना और

3. [illegible]

उत्तरी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा ौर उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। इस त्र में पाली जाने वाली बकरियों की जातियों नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. जमुना पारी
2. बीतल और
3. बरबरी।

मध्य क्षेत्र : इस क्षेत्र में राजस्थान, मध्य देश, गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग ाते हैं। इस क्षेत्र में पाली जाने वाली करियों की जातियों के नाम नीचे दिए ए हैं :—

1. मारवाड़ी
2. महशाना।
3. जैलबादी
4. बेरारी
5. कैथियावारी।

पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र में पाली जाने ाली बकरियों की जातियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. बैंगाल
2. असम पहाड़ी नस्ल

विदेशी नस्लें : भारत में देशी नस्लों के अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी पाली जाती हैं जिनमें टोग्गनबर्ग, सानन, एल्पाइन, नूवियन, अंगोरा आदि प्रमुख हैं।

बकरियों में नस्ल सुधार

विदेशी नस्ल की बकरियों में दूध देने की क्षमता देशी नस्ल की बकरियों की तुलना में अधिक होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा), में एल्पाइन और सानन विदेशी नस्लों के बकरों से बीटल नामक देशी नस्ल की बकरियों को गाभिन करा कर संकर नस्ल की बकरियां पैदा की जा रही हैं, जिनकी दुग्ध-उत्पादन क्षमता देशी नस्ल की बकरियों से काफी अधिक है। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए उन्नत किस्म की बकरियों को ही पालना चाहिए।

बकरी घर

बकरी पालन के लिए नस्ल के अलावा उनके रहने के स्थान का भी विशेष महत्व है। अतः बकरी घर का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह गर्मी में ठण्डा और सर्दी में गर्म रहे। बकरियां ठण्ड से अन्य पशुओं की तुलना में शीघ्रता बचाव चाहती हैं। इन्हें अलग आवास में रखना चाहिए। बकरी घर में पर्याप्त मात्रा में हवा और धूप आनी चाहिए। एक बकरी के लिए 75 सें० मी०×90 सें० मी० आकार का स्थान पर्याप्त रहता है। ग्रामीण व्यवस्था में 25 से 30 दुधारू बकरियों के लिए आवास बनाना लाभप्रद रहता है। मल निकास के लिए दीवार के साथ नाली का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, जबकि ग्रामीण लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। बकरी घर की दिन में दो बार साफ पानी से धुलाई करनी चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक बार लाल दवा डालकर धुलाई करनी चाहिए। ऐसा करने से बकरियों को संक्रामक रोग लगने से बचाया जा सकता है। बकरों और बकरियों को अलग-अलग रखने का प्रबन्ध करना चाहिए।

पोषक आहार

पोषक आहार को तीन भागों में विभक्त किया जाता है यथा—अनुरक्षण, उत्पादन (दूध, मांस और बाल उत्पादन) और गाभिन बकरी के लिए पोषक आहार। आमतौर से ग्रामीण जनता बकरी के पोषक आहार की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण उन्हें कम उत्पादन मिलता है।

वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि बकरियों को पोषक आहार देकर एल्पाइन, बीटल और एल्पाइन—बीटल संकर नस्ल की बकरियों में दूध की मात्रा 6 कि० ग्रा० प्रति दिन तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसी अवस्था में दूध से गंध कम आती है। बकरियां नीम, पीपल, महुआ, शहतूत आदि वृक्षों की पत्तियां बड़े चाव से खाती हैं। अच्छी नस्ल की दुधारू बकरियों को निम्न मात्रा में चारा व दाना देना चाहिए :

(अ) बरसीम या रिजका—5–6 कि०ग्रा०
(ब) दाना — 1 कि० ग्राम

ग्रामीण व्यवस्था में बकरी का पोषक आहार बनाने की विधि का उल्लेख नीचे किया गया है ताकि वहां के लोग दाना स्वयं तैयार कर सकें :

सामग्री		
मक्का	—	75 कि० ग्राम
ज्वार	—	75 कि० ग्राम
गेहूं का चोकर	—	25 कि० ग्राम
मूंगफली की खल	—	25 कि० ग्राम
हड्डी का चूरा	—	1.5 कि० ग्राम
चूना पत्थर	—	1.0 कि० ग्रा०
नमक	—	2.5 कि० ग्राम

दाने को मोटा दलवा लेना चाहिए ताकि बकरी सुगमता से पचा सके। परीक्षणों से पता चला है कि संतुलित आहार से उत्पादन में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी हो जाती है। संतुलित आहार में खनिज लवण, फास्फोरस और कैल्शियम आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः दाने में इनको भी मिला लेना चाहिए।

पोषण सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

1. जो बकरी चरागाहों में चरने नहीं जाती हैं, उसके संतुलित आहार में खनिज लवण अवश्य डालने चाहिए।

2. बारीक पिसा हुआ दाना नहीं देना चाहिए।

3. चरागाहों में बकरियों के पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए।

4. अधिक दूध और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हरी घास/हरा चारा और वृक्षों की पत्तियां रोजाना खिलानी चाहिए।

5. दानों के लिए बर्तन या बक्से तथा चारों के लिए लटकती नांदों का प्रयोग लाभप्रद रहता है।

6. बकरी के आहार में विटामिन ए डी और ई का विशेष महत्व है। विटामिन ए हरे चारे और पीली मक्का से उपलब्ध होती है। 1 कि० ग्रा० हरा चारा 1500 आई० यू० विटामिन ए, प्रदान करता है। विटामिन डी सूर्य की धूप से प्राप्त की जा सकती है। विटामिन ई सामान्य चारों में पाई जाती है।

सिन्थेटिक विटामिनें ए और डी छोटे बच्चों के विकास के लिए चारा में शामिल किया जा सकता है ।

7. छोटे बच्चों को एयूरूमाइसिन और टैरामाइसिन देने से उनकी बढ़वार दर में वृद्धि होती है और उन में कई रोगों से बचने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और उनकी साधारण बनावट में भी वृद्धि हो जाती है । इनकी कितनी मात्रा का प्रयोग करें उसके लिए समीप के पशु चिकित्सक से सम्पर्क स्थापित करें ।

ध्यान देने योग्य अन्य उपयोगी बातें

1. बकरियां स्वभावत: भ्रमणशील होती हैं । यदि उन्हें खुली जगह घूमने, चरने को मिले तो उनमें कम रोग लगते हैं ।

2. बकरे को दूध देने वाली बकरियों से अलग रखना चाहिए क्योंकि वे मूत्र और वीर्य उनके ऊपर गिराकर गन्ध उत्पन्न करते हैं ।

3. दूध में गन्ध उत्पन्न करने वाले चारे, घास आदि को दूध निकालने के उपरान्त खिलाना चाहिए ।

4. बकरी को वर्ष में दो बार गाभिन कराया जा सकता है ।

5. सामान्य गर्भाधान के लिए खनिज लवण (तांबा, कोबाल्ट, आयोडीन और फास्फोरस) अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

6. बकरी-पालन के अभिलेख रखने चाहिए । जिनमें पशुवंशावली अभिलेख, दूध अभिलेख, पशु भार अभिलेख, पशु खाद्य अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख व वित्तीय अभिलेख के रजिस्टर प्रमुख हैं ।

7. बकरी रोगरहित हो, समय-समय पर किसी अच्छे पशु-चिकित्सक से उसकी जांच करानी चाहिए ।

8. गन्धक युक्त वस्तुओं को दूध से अलग रखना चाहिए ।

9. संक्रामक रोगों से बचाने के लिए बकरियों को टीका लगवाएं ।

10. अधिक दूध उत्पादन के लिए संकर नस्ल की बकरियां ही पालें ।

11. चारे में एकाएक परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।

12. रोगी व्यक्ति को बकरी का दूध नहीं निकालना चाहिए ।

यदि हम उपरोक्त वर्णित विधि से बकरी पालन करेंगे, तो बकरियां स्वस्थ रहेंगी, अधिक दूध, मांस, बाल उत्पादन करेंगी, जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि बकरी पालकों की आय में भी वृद्धि होगी और निश्चय ही ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी और ग्रामीण जनता में खुशहाली का आलम होगा । □

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए राज्यों को अधिक धनराशि

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकारों को चालू वर्ष में 192.67 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। वर्ष 1982-83 के लिए बजट में केवल 190 करोड़ रुपये का प्रावधान था। वर्ष 1983-84 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गत वर्ष केन्द्र द्वारा 187.51 करोड़ रुपये दिए गए जबकि बजट में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान था ।

राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के 2502.6 लाख श्रम दिवस पैदा किए गए । यह निर्धारित 3532 लाख श्रम दिवसों का 70.85 प्रतिशत है । यह जानकारी मार्च, 1982 से दिसम्बर 1982/15 फरवरी, 1983 तक की अवधि की है ।

जहां गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम ने रोजगार श्रम दिवस पैदा करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वहां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा लक्ष्य प्राप्ति के निकट हैं ।

कर्नाटक, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश राज्यों की इस दिशा में अच्छी प्रगति को देखते हुए इन राज्यों को क्रमश: 4.26 करोड़, 4 करोड़ तथा 3.14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया ।

छठी योजना अवधि के दौरान 1620 करोड़ रुपये के आवंटन (980 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 640 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में) द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महिलाओं तथा पुरुषों तथा रोजगार तथा आंशिक रूप से रोजगार के लिए प्रतिवर्ष लाभप्रद रोजगार के 30 से 40 करोड़ श्रम-दिवस मुहैया कराने का लक्ष्य है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 में रोजगार के 4208.1 लाख श्रम दिवस उपलब्ध कराए गए तथा 1981-82 में यह संख्या 3545.2 लाख श्रम दिवस थी । □

नौकरी ही क्यों ?

महाराज

सम्भवत: 1961 की बात है। उस साल लिधौरा के कृपाल सिंह यादव ने एम० ए० की डिग्री प्राप्त की। उन दिनों किसी गांव वाले के लिए एम० ए० की डिग्री प्राप्त करना एक असाधरण बात थी। जब मेरी यादव जी से भेंट हुई तो मैंने उनसे पूछा, "कौनसी सर्विस का विचार है ?"

"हल हांकने का" उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया।

"क्यों मजाक कर रहे हो ? एम० ए० की डिग्री प्राप्त करके कोई हल हांकता है ?"

"मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूं। क्या आपने यह उक्ति नहीं सुनी—'उत्तम खेती, मध्यम बान, (व्यापार), निकृष्ट चाकरी, भीख निदान।' जब मुझे कृषि का उत्तम धंधा स्वत: प्राप्त है, तो फिर मैं निकृष्ट चाकरी की खोज क्यों करूं ?"

"यदि आपके यही विचार थे तो आपने पढ़ने में इतना समय तथा धन बरबाद क्यों किया ?"

"तो क्या केवल नौकरी के लिए ही पढ़ा जाता है ?"

"और नहीं तो किस लिए ?"

"एक बेहतर जिन्दगी के लिए विविध विषयों का ज्ञान तथा बौद्धिक और नैतिक विकास आवश्यक है। शिक्षा इसी की पूर्ति करती है। जो लोग नौकरी की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करते हैं वे शिक्षा के उद्देश्य को नहीं समझते। नौकरी में स्वतन्त्रता का अपहरण होता है, मनुष्य की प्रगति रुकती है, जबकि दूसरे व्यवसायों में मनुष्य स्वतन्त्र होता है, उसकी प्रगति के लिए सभी दिशाएं खुली होती हैं। यदि कोई स्वतन्त्र जीवन जीना चाहता है, अपने जीवन को अधिक विकसित करना चाहता है तो वह अपने को नौकरी की चार दीवारी में बन्द कैसे रख सकता है ? आज मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म, कर्तव्य तथा पुरुषार्थ 'अधिक अन्न उपजाना' है और उसी में मैं अपने को लगा रहा हूं।"

20 वर्ष पहले की बात है। अजमेर के मजीद चिश्ती को जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने मुर्गीपालन का धन्धा अपना लिया। उन्होंने इस धंधे को पूरी तन्मयता के साथ किया, फलत: आज वे इस धंधे से तीन हजार रुपये प्रतिमास कमा रहे हैं।

मजीद साहब ने थोड़ी-सी मुर्गियों से यह धंधा प्रारम्भ किया था। आज उनकी मुर्गियों की संख्या तीन हजार तक पहुंच गई है और दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। देश की कई कुक्कट प्रदर्शनियों में चिश्ती जी ने प्रथम पुरस्कार जीते हैं। 1979 में भिवानी में हुई अखिल भारतीय प्रदर्शनी में उनका 'न्यू हैंपशायर' नस्ल का मुर्गा सर्वोत्तम घोषित किया गया, जिस पर उन्हें राष्ट्रपति का रजत पदक मिला।

मेरे यहां के माधव तथा सुरेश दोनों भाई एम० ए० हैं। सुरेश मिठाई बेचता है और माधव ने बुक स्टाल खोल रखा है, साथ में पान-बीड़ी भी बेचता है।

एक नाई का लड़का जो बी०ए० उत्तीर्ण था, मुझ से बार-बार कोई नौकरी तलाश कर देने को कहता। एक दिन मैंने उससे कहा, "नौकरी करके क्या करोगे, मुश्किल से तीन-साढ़े तीन सौ रुपये मिलेंगे, इस से ज्यादा तो तुम अपने ही पेशे से कमा सकते हो।"

"सो तो मैं अपने पेशे से छ: सौ रुपये मासिक तक कमा सकता हूं, लेकिन बात यह है कि हमारे पेशे को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं और नौकरी को गौरवपूर्ण दृष्टि से।"

"कोई पेशा या काम छोटा नहीं होता, और न उसके करने से मनुष्य छोटा होता है। गांधी जी तो पाखाना साफ करने से बर्त्तन मलने तक के सारे काम बहुत दिनों तक अपने हाथों करते रहे, किन्तु उन्हें तो कभी किसी ने हेय दृष्टि से नहीं देखा। काम या धंधा मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाता—तुम कौनसा धंधा करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य को ऊंचा उठाता है उसका चरित्र। फिर यदि कुछ मूर्ख लोग किसी आदमी को उसके पेशे के कारण हीन समझें, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ? साकवणिक यदि हीरे का मूल्य कम आंके, तो क्या हीरा-हीरा नहीं रहेगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा ? मनुष्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि लोग उसे क्या समझते हैं, उसे यह चिन्ता करनी चाहिए कि वह क्या है ?"

मेरी बात उसकी समझ में आ गई और वह नौकरी का चक्कर छोड़कर अपने पेशे में लग गया।

यह देश के लिए शुभ लक्षण है कि देश के कुछ शिक्षित युवक अपने पुराने तथा व्यक्तिगत धंधे को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। मैं ऐसे अनेक शिक्षित युवकों को जानता हूं जिन्होंने अपने बल पर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर अपने व्यक्तिगत धंधे खोल रखे हैं।

देश में काम की कमी नहीं है, जिनमें काम करने की लग्न है उनके लिए ढेरों काम हैं। काम की कमी तो केवल अकर्मण्यों के लिए है।□

स्थान पो० एवनी (झांसी)
उ० प्र०—284204

राजस्थान नहर : मरुप्रदेश की जीवनधारा

जगमोहन लाल माथुर

कुछ वर्ष पहले वहां निरे बालू के टीले थे। गर्मियों में भयंकर गति से काली-पीली आंधी चलती थी। सिंचाई की बात तो छोड़िये, पीने का पानी भी दुलर्भ था। कोई राहगीर रास्ते से भटक जाता तो प्यासा ही दम तोड़ देता। दिशा दिखाने या रास्ते की पहचान के लिए कहीं पेड़ न थे, था केवल बालू का अनन्त विस्तार। ऐसे इलाके में जब नहर बनाने की बात की जाती तो गांव वाले हंस कर रह जाते थे। पर अब राजस्थान नहर बीकानेर जिले के बाद जैसलमेर की ओर निरन्तर बढ़ रही है और 25,000 मजदूर और अनेक इंजीनियर दिन-रात लगकर इसे मार्च 1985 तक पूरा कर देने का संकल्प लिए हुए हैं।

भले ही नहर का निर्माण धीमी गति से हुआ हो पर जहां तक नहर पहुंची है, मरू-भूमि का कायाकल्प हो गया है पिछले दिनों में जब 620 किलोमीटर कहे जान वाले स्थान पर (नहर पर स्थान मील के-हिसाब से पहचाने जाते हैं) कुछ किसानों से मिला तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस धरती पर नहर का लाना चमत्कार ही है। उन्हें यह विश्वास ही न था कि उन्हें इस जीवन में पानी से लबालब भरी नहर के यहां दर्शन होंगे पर इंजीनियरी कौशल ने यह सब कर दिखाया है।

राजस्थान नहर का उद्गम पंजाब में हरी के बराज पर होता है तो रावी व

राजस्थान नहर : कुछ मुख्य बातें

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल लम्बाई
मुख्य नहर	393 कि०मी०	256 कि० मी०	649 कि०मी०
वितरिकाएं	2900 ,,	3600 ,,	6500 ,,
कितना निर्माण पूरा हुआ . .	393	144	537
मुख्य नहर (दिस० 1982 तक)			
वितरिकाएं (दिस० 1982 तक) . .	.2835	189	3024
सिंचाई क्षमता का सृजन			
कुल कृषिक मान क्षेत्र . . .	5.40 हे०	6.00 हे०	11.40 हे०
प्रस्तावित क्षमता . . .	5.94 हे०	6.60 हे०	12.54 हे०
सिंचाई क्षमता बनी मार्च 1982 तक .	5.34 हे०	0.26 हे.	5.60 हे०
सिंचाई क्षमता उपयोग . . .	4.02 हे०	0.15 हे०	4.17 हे०
लागत (करोड़ रुपयों में) . .	214.50	320.00	534.00

व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इस का उद्देश्य 80 लाख एकड़ फुट पानी को राजस्थान में लाना है यह नहर पंजाब व हरियाणा में से होती हुई कोई 204 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात हनुमानगढ़ नामक कस्बे के 12 किलोमीटर उत्तर में एक स्थान पर राजस्थान की सीमा में प्रविष्ट होती है फिर श्रीगंगा-नहर व बीकानेर जिले में होती हुई जैसलमेर की ओर अग्रसर है। इस नहर का निर्माण दो चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण 204 किलोमीटर लम्बी फीडर नहर, 189 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर तथा 2900 कि० मी० लम्बी वितरिकाओं का निर्माण हुआ है। यह काम पूरा हो चुका है और इस पर 214.5 करोड़ रु० का खर्च हुआ है। इस चरण में 5.40 आख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करना है। इस योजना की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लूणकरणसर–बीकानेर लिफ्ट नहर है जिसने इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया है। लूणकरणसर का नाम ही नमक पर है और सारा क्षेत्र नमक के कारण सफेद नजर आता था। जब ट्रेन पानी की टंकी लेकर आती तो घंटों से प्रतीक्षा करते हुए लोग एक घड़ा पानी ले पाते। आज लूणकरणसर में नलों का मीठा पानी उपलब्ध है। राजस्थान नहर के कारण भूमिगत पानी का स्तर ऊंचा उठ गया है। यहां के बच्चे दो आने की मूंगफली के लिए तरसा करते थे। अब एक वर्ष में ही 100 करोड़ रु० की मूंगफली उगाई जाने लगी। चार स्थानों पर लगाए पम्पों के जरिए पानी को 60 मीटर ऊपर उठाया गया है। बीकानेर शहर को ही नहीं अनेक गांवों को पेयजल मिल रहा है। गत वित्त वर्ष में 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में 1 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी और सिंचाई सुविधाओं से मिलेगी भरपूर फसल।

दूसरा चरण प्रथम चरण को आगे बढ़ाता है। यह छतरगढ़ से जो बीकानेर से कोई 100 कि० मी० दूर है, नहर के 393 किलोमीटर से शुरू होता है दूसरे चरण की कुल लम्बाई 256 कि० मी० है। इसकी 3600 कि मी० लम्बी वितरिकाएं होंगी। इस काम को मार्च 1985 तक पूरा किया जाना है। मुख्य नहर का निर्माण अब नाचना गांव तक पहुंच गया है जो जैसलमेर जिले में है। यहां मार्ग में चट्टानें आ गई हैं जिन्हें विस्फोटकों और मशीनों से तोड़ कर मरूगंगा के लिए रास्ता तैयार हो रहा है। नहर को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए ईंटों के भट्टे कई स्थानों पर बना लिए गए है और सीमेंट तथा कोयले का पर्याप्त भण्डार बना लिया गया है। दूसरे चरण के निर्माण पर कुल लागत 320 करोड़ रुपये आने की संभावना है। मार्च 1983 तक कुल मिलाकर 347 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं जबकि कुल लागत का अनुमान अब 534 करोड़ रुपये लगाया गया है। मार्च 1983 तक हुए खर्च के बाद करीब 187 करोड़ रुपये की और जरूरत होगी जबकि 1983–84 में 50 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

इतने भारी खर्च पर बन रही योजना का लाभ काफी बड़ा होगा। यह नहर राजस्थान के इस परम्परागत बंजर क्षेत्र का रूप ही बदल देगी। जहां बिल्कुल अनाज नहीं होता वहां प्रतिवर्ष 31 लाख टन अनाज होगा जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपये आंका है। हर साल 150 करोड़ रुपये का अनाज व कपास आदि फसलें लीं जा सकेंगी। गन्ना-गेंहूं की फसलें आजकल भी लीं जा रही हैं।

सिंचाई के अलावा इस नहर से पीने के पानी की समस्या भी हल होगी। बीकानेर शहर के अलावा जोधपुर शहर और आसपास के गांवों के लिए पेयजल योजना तैयार कर ली गई है। नहर में ऐसे स्थान भी बनाए जा रहे हैं जहां से पशु पानी पी सकें। जहां घाट पर पानी पीने का प्रबन्ध नहीं हो सका वहां पाइप से पानी निकाल कर पशुओं के लिए एक गड्ढा में भर दिया जाता है।

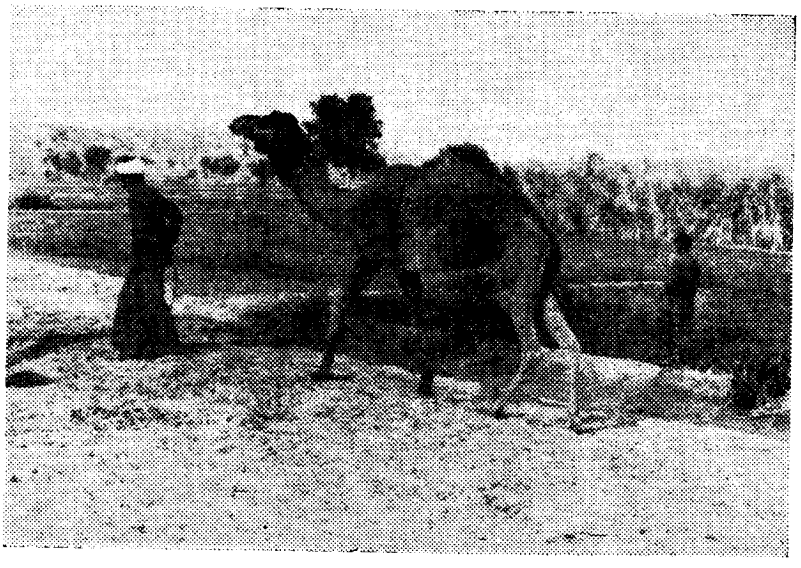

राजस्थान नहर से सिंचित खेत

इसी प्रकार नहर से आसपास के इलाकों में अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सड़कों, मण्डियों आदि का निर्माण हो रहा है। टीले स्थिर रखने के लिए घास व पेड़ लगाए जा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रकृति की चुनौती का सामना करते हुए हम इस रेगिस्तान का स्वरुप बदल डालने के लिए दृढ़ निश्चय कर बैठे हैं।□

जगमोहन लाल माथुर,
सै० 3/501 आर० के० पुरम,
नई दिल्ली 110022

—जो० रवीन्द्रन नायर

साधारणतयः लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं भेजी जाती क्योंकि उनकी मां या दादी कभी स्कूल में नहीं पढ़ी होती । "मैं अपनी लड़की को स्कूल क्यों भेजूं ? उसे पढ़ लिखकर क्लर्क तो नहीं बनाना— हरियाणा के एक किसान ने बहुत ही ठोक बजा कर यह बात कही । मोटे तौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्र में अशिक्षित माता-पिता को लड़कियों की शिक्षा के लाभ समझाने का काम पथरीली चट्टान से पानी निकालने के समान है, जहां पानी निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है । आधुनिक जीवन के सांसारिक चक्र में रोजगार और भौतिक सुख ही मुख्य हो गए हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में जनमत को यह विश्वास दिलाना है कि अशिक्षित लड़की की अपेक्षा पढ़ी-लिखी लड़की घर की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है अच्छी मां और पत्नी हो सकती है शिक्षित मां अपने बच्चों की देखभाल अच्छी करेगी तथा पूरे परिवार के पौष्टिक भोजन का ख्याल करके घर को, घर के वातावरण को अच्छा रखते हुए परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत देखभाल करेगी । केवल शिक्षित ही छोटे या बड़े परिवार का अन्तर समझ सकती हैं । इस अज्ञानता की खाई को हम किस प्रकार भर सकते हैं जबकि लाखों लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, और हालात ये हैं कि अधिकांश लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती और बहुत सी बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं ।

लड़कियों की शिक्षा की मन्द प्रगति

संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य रखी हुई है, किन्तु अब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। विस्तृत रूप से यही महसूस किया जा रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति न हो सकने का मुख्य कारण लड़कियों की अशिक्षा है शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका रूप राज्यों में एक समान नहीं है कुछ इलाके तो इस मामले में आगे बढ़े हैं जबकि कुछ अभी भी पिछड़े हुए हैं । शहरों तथा गांवों के बीच और लड़के लड़कियों के बीच यह भिन्नता पाई जाती है । उदाहरणार्थ शहरों में प्रारम्भिक एवं मिडिल स्कूल तक की शिक्षा व्यवस्था है, जबकि गांवों में 80 प्रतिशत लोगों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु औसतन 1.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को मिडिल शिक्षा हेतु 3 कि० मी० की दूरी तय करनी पड़ती है। देश के 575926 गांवों में अनुमानतः 48566 ऐसे गांव है जहां स्कूलों का पूर्ण अभाव है । 12 राज्यों व केन्द्रीय शासित प्रदेशों में माध्यमिक कक्षाओं तक शिक्षा निःशुल्क है दूसरे राज्यों व केन्द्रीय शासित प्रदेशों में मिडिल कक्षाओं तक शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है अन्य 8 राज्यों व केन्द्रीय शासित प्रदेशों

में सभी बच्चों के लिए शिक्षा मिडिल तक निःशुल्क तथा लड़कियों के लिए कुछ और वर्षों तक भी निशुल्क है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले, जबकि स्त्रियों की शिक्षा लगभग शून्य थी की अपेक्षा आज स्थिति कहीं अच्छी है, किन्तु अभी हमें और कठिन परिश्रम करना होगा जिससे अपनी उपलब्धियों पर हम वास्तव में गर्व कर सकें। स्कूल में लड़कियों के प्रवेश लेने की प्रतिशत लड़कों के अपेक्षा अधिक कम है । एक सर्वेक्षणानुसार 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले लड़कों का स्कूल में भर्ती होने का प्रतिशत 97.5 था जबकि लड़कियों का केवल 63.5 प्रतिशत ही था । 11 से 14 वर्ष की उम्र के लड़कों के स्कूल जाने का प्रतिशत 48.7 था जबकि लड़कियों का केवल 24.5 ही था । और असमानता की यह खाई हाई स्कूल स्तर पर आकर और भी चौड़ी हो जाती है । हाई स्कूल की शिक्षा में 14 से 17 वर्ष के लड़कों का प्रतिशत 28.8 था किन्तु लड़कियों का केवल 12.3 प्रतिशत ही रहा । वैसे ही गांव में स्कूलों में दाखिला लेने वाली बालिकाओं की संख्या कम होती है लेकिन स्थिति अधिक शोचनीय हो जाती है जब ये बालिकाएं बीच में ही पढ़ना छोड़ देती है । अनुमानतः प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली 100 लड़कियों में से लगभग आधी ही कक्षा पांच तक पहुंचती है और केवल 24 लड़कियां ही कक्षा 8 तक पहुंचती हैं । बीच में शिक्षा छोड़ देने की प्रवृत्ति लड़कियों में अधिक पाई गई है । इस तरह स्कूल में प्रवेश लेने के बाद भी 70 प्रतिशत लड़कियाँ अशिक्षित ही रह जाती हैं ।

केरल के कुछ भागों में लड़कियाँ स्कूल के बाद कारखानों में काम करती हैं ।

एक बड़ी संख्या में लड़कियों के बीच में शिक्षा छोड़ देने से स्पष्ट होता है कि एक बहुमूल्य/मुख्य भाग खर्चे का लागत और लाभ के अनुपात में बेकार ही चला जाता है । इसके लिए हमारे गांवों के विभिन्न और अजीबो गरीब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण और स्वरूप ही जिम्मेवार है जिनके कारण शहरों की अपेक्षा गांवों में लड़कियों में शिक्षा छोड़ देने की प्रवृति ज्यादा है।

जब इस तथ्य पर गहराई से विचार करते हैं तो कई निश्चित कारण उभर कर सामने आते हैं जैसे बहुत सी गरीब घर की और गांवों व शहरों की गन्दी बस्तियों की लड़कियों को अपने घर रहकर अपने छोटे भाई-बहिनों को देखना पड़ता है क्योंकि उनके मां-बाप काम पर गए होते हैं। कुछ ही समय से इस समस्या के हल के लिए, शिशुओं की देखभाल हेतु संस्थानों (क्रच एंव डे केयर) की व्यवस्था की गई है किन्तु खेतिहर मजदूर औरतों और औद्योगिक इकाई की स्त्रियों के लाखों बच्चों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ।

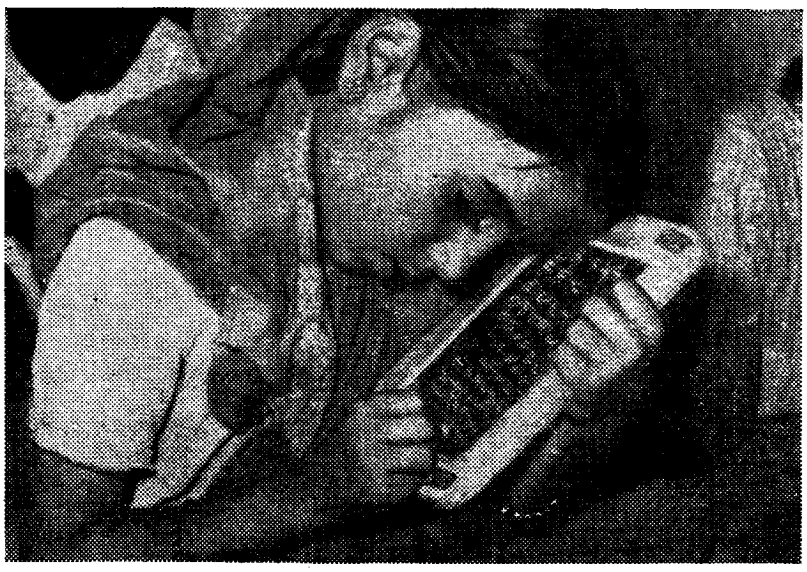

पढ़ी-लिखी लड़की घर और बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकती है ।

प्रोत्साहन की कमी

अधिकतर लड़कियों का स्कूल से हट जाने का एक कारण यह भी है कि शिक्षा पाठ्यक्रम बहुसंख्यक गरीब

समाज व परिवार की रोजाना की जरूरतों से हटकर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहित नहीं करता और वे समझते हैं कि स्कूल में समय बिताने से अच्छा है लड़की घर पर ही कार्य करे जिससे परिवार की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। बच्चों की देखभाल के अलावा लड़कियां मां के साथ घर के विभिन्न कामों में हाथ बंटाती हैं। लड़कियां बहुत छोटी उम्र से घर के काम करना शुरू कर देती है। गांवों में हम आज भी देख सकते हैं कि छोटी-छोटी लड़कियां सिर पर छोटे-छोटे बर्तन रखे अपनी मां या बड़ी बहन के पीछे-पीछे कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी भर कर लाती हैं। प्रारम्भ में यह खेल सदृश्य होता है लेकिन जल्दी ही घर के उपयोगी कामों को निबटाने के लिए एक आवश्यक अंग बन जाती है। वे अपने मां-बाप की खेतों में बीज बोना, हल चलाना, रोपना, फलों को चुनना, तोड़ना तथा चिड़ियों को उड़ाना आदि कामों में मदद करती है। मां के साथ बेचने के समान को अपने सिर पर या पीठ पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। कुएं से पानी तथा जलाने के लिए लकड़ियों के गठ्ठर लेकर आती हैं। छोटी ही उम्र से उन्हें बुनाई सिखाई जाती है। कई जगह वे अपने शुरू से चले आ रहे पैतृक धन्धों में ही लग जाती हैं या छोटी उम्र से कारखाने में काम करती हैं। अतः इसी कारण उनके माता-पिता का सीधा सवाल होता कि यदि वे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेज दें तो घर में अन्य काम कौन करेगा और उन कामों से होने वाली अतिरिक्त आय कहाँ से होगी। क्योंकि तमिलनाडु के शिवाकाशी की माचिस की फैक्ट्रियों में अधिकांश श्रमिक लड़कियां ही हैं जिन्हें इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए लेकिन जहां गरीबी राज्य करती है वहां रूढ़िवादी गरीब माता-पिता के लिए शिक्षा एक विलासिता है जिसका खर्च वे वहन नहीं कर सकते।

स्कूल छोड़ने के कारण

बहुत सी लड़कियां स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं कि स्कूल के अतिरिक्त और भी बहुत से काम उनके सिर पर होते हैं। केवल केरल के ही कुछ भागों में लड़कियां अन्य कार्य करते हुए स्कूल भी जाती हैं त्रिवेन्द्रम जिस के नियतिनकरा के कुछ भागों में नारियल की जटाओं से घरेलू उपयोग के समान बनाना अभी तक प्रचलित है वहां एक अध्ययन में यह पाया गया है कि बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की अधिकाधिक संख्या 48 प्रतिशत है लड़कियां स्कूल के साथ-साथ नारियल की जटाओं के समान बनाती हैं। वे सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर देती हैं और शाम को स्कूल से लौटने पर पुनः काम में लग जाती है। जहां पर लड़कियों को भी औद्योगिक इकाइयों में जाना होता है वे सामान्यतः स्कूल भी जाती हैं और छुट्टियों में कारखाने में काम करती हैं। जो लड़कियां कारखाने के आस पास रहती हैं वे स्कूल के बाद काम करती हैं। एक परिवार घर के श्रमिकों की मदद रेशे का सामान बनाने में लेता है जबकि दूसरा परिवार बच्चों की आमदनी को घर के रख रखाव पर खर्च करता है, इन सबसे पता चलता है कि कोई भी माता-पिता बच्चों की मजदूरी को नजर अन्दाज नहीं कर सकता, इसलिए बहुत से माता-पिता सोचते हैं कि लड़कियों कि शिक्षा महत्वहीन है, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं करनी, शादी के बाद घर गृहस्थी देखनी होगी। अतः स्कूल जाकर व्यर्थ समय गंवाने से क्या लाभ है।

जिन स्थानों में स्कूल घर से थोड़ी दूरी पर है वहां माता-पिता बच्चों को असुरक्षित जगह में स्कूल भेजने में हिचकिचाते है। क्योंकि अब भी बहुत से स्कूल गांवों अथवा शहरों में शहर से काफी दूर होते हैं। कुछ अनुभवी व्यक्तियों ने सुझाव दिए हैं कि लड़कियों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें यूनिफार्म, दोपहर का खाना नाश्ता, वजीफा आदि दिए जाने चाहिएं। इसमें संदेह नहीं कि दोपहर के खाने के प्रलोभन ने बच्चों पर स्कूल में रुके रहने के लिए जादू का सा काम किया है। ऐसा कुछ राज्यों में प्रयोग करने पर पाया गया।

मई 1979 में दिल्ली में आयोजित नेशनल कानफ्रेन्स आन वीमेन एण्ड डेवल पमैंट (स्त्रियों और उन्नति पर राष्ट्रीय सभा) में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा त्रियात्मक रूप में दी जानी चाहिए, जो उस समाज के भौगोलिक वातावरण और पर्यावरण के अनुरूप हो। उस सभा में यह भी कहा गया कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही न हो वरन पाठ्यक्रमों और गतिविधियों द्वारा बच्चों को अच्छी आदतों व उनके कर्तव्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।

यह भी देखा गया है कि बहुत सी संख्या में लड़कियां फेल हो जाने के कारण भी स्कूल छोड़ देती हैं अतः उपरोक्त कांफ्रेंस में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं में किसी को फेल ही न किया जाए जिससे बच्चे फेल होने की चिन्ता से मुक्त हो जाएं। यह भी सर्वविदित है कि इस समय में बालिकाएं मानसिक-शारीरिक विकास के विभिन्न स्तरों पर होती हैं। उनमें अस्वस्थ स्पर्धाओं को पनपने नहीं देना चाहिए! स्पर्धाओं के स्थान पर लड़कियों को उनकी कार्य-क्षमता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बड़े पैमाने पर, जब तक हम गांवों में गरीबी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम ग्रामीणों को दोष नहीं दे सकते कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, कि बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए शिक्षा नितान्त जरूरी है। उनकी प्राथमिक आवश्यकता है पेट भरने के लिए भोजन, जिसके प्रति वे सदैव चिंतित रहते हैं। उनके लिए शिक्षा के समाजिक और नागरिक पहलू का कोई अर्थ नहीं होता। शिक्षा ग्रामीण लड़कियों के लिए अति आवश्यक है। उनमें से बहुत सी तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। स्कूल छोड़ कर जाने वाली लड़कियों की दरों में कमी करने के लिए "ग्रेड सहित स्कूल", "कोई फेल नहीं स्कूल" की योजनाओं को देश के कुछ भागों में कार्यान्वित किया जा रहा है तमिलनाडु के अनौपचारिक स्कूल और केरल के ग्रेड सहित स्कूल इस उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए हैं □

अनुवाद : श्रीमती विमला रस्तोगी

स्वैच्छिक रूप से परिवार नियोजन पर बल

छोटा परिवार के आदर्श को ध्यान में रखते हुए अब स्वैच्छिक रूप से परिवार नियोजन पर जोर दिया गया है । मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है ।

अब तक इस दिशा में किए गए प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं । अप्रैल 1982 से जनवरी 1983 की अवधि के दौरान लगभग 28 लाख नसबन्दी आपरेशन किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 19.6 लाख नसबन्दी आपरेशन किए गए । इस प्रकार नसबन्दी आपरेशनों में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आलोच्य अवधि में 35 प्रतिशत अधिक लूप लगाए गए । इसके अलावा निरोध तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है । परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों की संख्या एक अप्रैल 1981 में 22.7 प्रतिशत से बढ़कर एक अप्रैल, 1982 को 23.7 प्रतिशत हो गई, अब लगभग 26.5 प्रतिशत है ।

अब एक पूर्ण रूप से परिभाषित दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है, जो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि लोग स्वैच्छिक रूप से छोटे परिवार का आदर्श अपनाएं । इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

विभिन्न प्रचार तथा संचार माध्यमों का उपयुक्त रूप से इस्तेमाल करके लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें सही जानकारी देने के प्रयासों में तेजी लाना; जहां तक संभव हो सके परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों के लिए उनके घर के निकट सम्बन्धित सेवाओं की व्यवस्था करना; महिलाओं को साक्षर बनाने में तेजी लाने के लिए सुविधाओं का विकास करना; विद्यालयों और कालेजों तथा स्कूल से बाहर के नवयुवकों में भी जनसंख्या से सम्बन्धित शिक्षा का प्रचार करना ।

स्वास्थ्य मंत्री श्री बी० शंकरानन्द की अध्यक्षता में एक बीस सदस्यीय जनसंख्या परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की है । देश के समूचे भाग में भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार करने के उद्देश्य से विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्ग की आबादी तक इन सुविधाओं का प्रचार करने के लिए राज्यों को विशेष ध्यान देने को कहा जाएगा । सरकार का विचार है कि जन्म दर और मृत्यु दर को कम करके क्रमशः 21 तथा 9 प्रति हजार व्यक्ति प्राप्त किया जाए ।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल से स्वास्थ्य बेहतर बनता है और बच्चों के बचाने की उम्मीद बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप दम्पत्ति छोटा-परिवार अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं । गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खून की कमी जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाने के एक बड़े कार्यक्रम को सभी स्तरों पर तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है । □

बदलते मूल्य

जब मैं
मनोरंजन क्लब की ओर
जा रहा था
तो एक अभाव-ग्रस्त गांव ने
मुझे आवाज दी ।
विश्वविद्यालय के
भव्य पुस्तकालय में
मेरी दृष्टि के सामने
कुछ निरक्षर लोगों की
अंगूठा निशानी उभरी,
बारात की रेल-पेल में
एक दहेज-पीड़ित अविवाहिता की
दबी-दबी सिसकियां
मेरे कानों में गूंजी,
जब मैंने उन्हें सुना,
गुना
और उनकी सहायता के लिए
अपना हाथ उठाया,
तो पाया
कि गांव मेरा मनोरंजन क्लब है ।
निरक्षर लोगों की चौपाल
मेरा विश्वविद्यालय
और दहेज, वह दानव
जिसे मौत के घाट उतारना है
ताकि सुख की शहनाई बज सके
और हर गरीब बाप की बेटी
दुल्हन बनकर सज सके ।

अखिलेश्वर
30—मण्डी ब्लाक,
श्रीकरनपुर-335073 (राजस्थान)

एक मालवी लोककथा पर आधारित

अकाल-पुरुष

डा० देवव्रत जोशी

नदियां, कुएं-तालाब सब सूख गए थे । लोगों के पास खाने को अन्न न था । पीने के पानी की भी तेजी से कमी आने लगी थी । ढोर-ढंगर चारे-पानी बिना छटपटाते, प्राण छोड़ रहे थे । सारा देश बद-हवास और बेहाल था । सबको अपनी-अपनी चिन्ता-फिकर थी । अब तक लोग उस जमाने को इन पंक्तियों में याद करते हैं :—

"देख्यो और सुण्यो नहीं, ऐसो जब्बर काल
भूखा मानस खींचग्या, चलत ढोर की खाल"

(अर्थात ऐसा अकाल कभी देखा और सुना नहीं । भूखे मनुष्य जीवित जानवर को खा रहे हैं ।)

धान के कोठे खाली हो गए थे । लोगों की जेबों में पैसे भी नहीं थे कि महंगा-सस्ता खरीदकर गुजर-बसर कर लें । भगवान की आस पर जितने दिन गुजरें, उतने खरे, यह सोचकर धीरजवान लोग बैठे थे ।

गांव सादाखेड़ी कोई सौ घर की बस्ती थी । अकाल की काली छाया वहां भी फैली थी । बच्चों को छाती से सटाए माताएं निराश, भूखी बैठी रहतीं । बूढ़े पिछले जमाने की दही-दूध की नदियों की गाथाएं कहते-कहते रो पड़ते । जवान दाड़की[1] न मिलने से घर में ही ऊंघा करते ।

हालत बड़ी खराब थी । गांव के सेठ किशनलाल जी तीरथ गए हुए थे । वे पैसे वाले तो थे ही, दिल फरियाद भी थे । साधु संत, गांव के पामणे,[2] और बाहर का आदमी एक दिन के लिए भी गांव में आता, उसकी पामणाचार[3] किशनलालजी जरूर करते । पाव घड़ी भर के लिए ही सही, गांव के लोग उनके घर जाकर सुख अनुभव करते । सब प्रेम से उन्हें काका सेठ कहते थे । और इस अकाल में तो भगवान के बाद काका सेठ ही लोगों की जुबान पर थे । वे ही आएं और कुछ करें तो काम चले ।—

इन्तजार के दिन खत्म हुए । काका सेठ तीरथ से वापिस आ गए । सारा गांव आंसू पोंछकर उनके स्वागत में मुस्करा उठा । 'धर्मात्मा सेठ' की जय-जयकार से आकाश गूंज उठा । सेठ ने सबकी साता[4] पूछी । एक जवान आदमी ने अपने देस में भारी अकाल का दिल दहला देने वाला चित्र खींचा, जिससे सेठ सन्न रह गए :—

(उस समय यात्री पैदल तीर्थ करने जाते थे और लौटने में दो-तीन मास का समय लग जाता था ।)

'हे प्रभु ! मैं पहले ही क्यों नहीं आ गया । असली तीरथ तो गांव है और असली गोपालजी गांव के भाई बन्द ।' कहते-कहते काका फूट पड़े । लोगों के मुरझाए चेहरे देखकर उनका करुण-कोमल मन पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा ।

'भगवान सबकी मदद करता है भाइयो !' काका सेठ ने ढाढ़स बंधाया । सारी रात वे जागते रहे और विपत्ति से मोर्चा लेने की युक्ति विचारते रहे ।

अगले दिन सुबह उन्होंने सबको अपनी हवेली में इकट्ठा किया । सब जने काका सेठ के यहां जमा होने लगे । सबकी आंखों में एक नई चमक, एक नया विश्वास । उनके बारे में घर बाहर यह केवात[5] प्रचलित हो गई थी ।

"प्यासा ने पाणी मिले, भरे भूखा को पेट किशनजी का अवतार है, अपणा काका सेठ

(अर्थात प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देने वाले काका सेठ कृष्ण के अवतार हैं ।)

गला खंखार, ऊंचे स्वर में काका ने गांव वासियों को सम्बोधित किया । "मेरी बखारी[6] में बरसों का इकट्ठा अनाज पड़ा है । आप कोई फिकर चिन्ता मत करना । सब धान आप लोगों से मिला है, और आपका है । इस विपत्ति में यह भण्डार काम न आया तो फिर किस काम का ।"—

और फिर रूंधे कंठ से उन्होंने घोषणा की । आज से गांव के सब बाल-गोपाल, लोग-लुगाई हवेली में दोनों टंक[7] भोजन करें । गांव तो परिवार है इसमें कोई संकोच-शरम न समझें ।—'तेरा तुझ को सौंपें का लागे है मोर ।' सब उसी करतार का है ।

काका सेठ की घोषणा से गांव के भूखे-प्यासे प्राणों में नई चेतना का संचार हो गया । सब जने हर्ष विह्वल होकर काका के गुणगान करने लगे ।

कोलाहल कुछ थमा । एक युवक उठा । सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं । युवक ने घोर-गंभीर स्वर में कहना शुरू किया ।

'काका सेठ धर्म के अवतार हैं । अपने-पराए में वे कोई फरक नहीं समझते । उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी बखारी खोली है । लेकिन भाइयो, यह अनाज आखिर कब तक चलेगा, जब तक हम अपने कुएं-तालाब गहरे नहीं करते, गांव-गोयरे[8] की नदी नहीं बांधते, हमारे खेत सूखे ही रहने वाले हैं । मेरा सुझाव है कि काका सेठ के यहां दोनों टंक भोजन करें और दिन को गेंती-फावड़े लेकर कुएं, तालाब गहरे करें ।

युवक ने जो बात कही वह गांव वालों को जंच गई और चमत्कारपूर्ण लगी। अब तक इन्द्र राजा की कृपा से मेघ बरसते थे, खेती पकती थी। पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाता था। अब की बार पानी न गिरने से दोनों फसलें बिगड़ गई थी और घोर आकाल पड़ गया था।

काका सेठ ने युवक की बात का अनुमोदन किया। अगले दिन से दोनों समय हवेली में पंगत[9] पड़ती। दिन को सूखा-अकाल से लड़ाई शुरू होती। काका सेठ ढलती उम्र में भी चिलचिलाती धूप में आकर गांव वालों के साथ काम करते।

कुएं गहरे और गहरे होने लगे। तालाब की कीचड़ मिट्टी साफ होने लगी। नदी पर ओटे[10] बंधने लगे। बूढ़ी धरती मुस्कराती मन ही मन। जब उसका सिणगार[11] होगा। अब वह किसी को भूखा नहीं सोने देगी। दिन दूने, रात चौगुने उत्साह से काम चल रहा था। अकाल की छाया गांव के सिर से धीरे-धीरे दूर होती जा रही थी। अब विपत्ति टल गई थी। काका सेठ ने अपनी उदारता से गांव को उबार लिया था और लोगों के परिश्रम ने ज़मीन का काया-पलट कर दिया था।

संवत सत्तावन आखिरी सांस ले रहा था और गांव में नया जीवन आ गया था। नदी के ओटे बंध गए थे। कुएं गहरा गए थे। तालाब से नहरें काट ली गई थीं। आषाढ़ के मेघों ने आकाश में गरजना शुरू कर दिया था। अब निराशा का स्थान आशा और उमंग ने ले लिया था।

काका सेठ की हवेली के खण्डहर आज भी विद्यमान हैं। उनकी उदारता की कथा आज भी बड़े-बूढ़ों के मुंह से सुनने को मिलती है। उन भयंकर दिनों में काका ने जन-जीवन में जो प्राण फूंके उनके सन्दर्भ में यह दोहा आज भी कहा सुना जाता है :—

भोजन दयो भगवान बण, भागीरथ बण नीर।
काका सरखी जाणसी कूंण पराई पीर।

(अर्थात भगवान के समान भूखे को रोटी दी और राजा भागीरथ के समान वे पानी लाए। उनके समान दूसरे के दुख को कौन जान सकता है।)

काका का चरित्र अद्वितीय था। उन्होंने काल का मुंह मोड़ दिया। वे अकाल पुरुष थे। □

प्रोफेसर्स कालोनी
आगरमालवा
465441 उज्जैन

1—मजदूरी 2—मेहमान 3—आतिथ्य 4—कुशल-मंगल 5—कहावत
6—अनाज संग्रह के लिए बनाया गया विशेष प्रकार का तलघर, 7—समय
8—गांव की पार्श्व भूमि 9—भोजन करने वालों की पंक्ति 10—छोटा बांध 11—श्रृंगार

"14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। आप सभी जानते हैं कि आपके राज्य में स्थिति क्या है। मैं लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहूंगी। एक बात और भी है, मैं देखती हूं कि कई राज्यों में पाठ्य पुस्तकों के बारे में, हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन फिर भी, संशोधनों की आवश्यकता है। हम सब को यह कोशिश करनी चाहिए कि संकीर्णता, फिरकापरस्ती, जातिवाद और कोई भी ऐसी बात से बचकर चलें जिससे हममें फूट पड़ती हो। इससे किसी राज्य के अन्दर समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए या पड़ोसी राज्य के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

शिक्षा को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। शहरों में आप वही की वही शिक्षा नहीं दे सकते जो ग्रामीण इलाकों में दे सकते हैं। मैं समझती हूं कि स्कूलों के खुलने-बन्द होने के समय एवं छुट्टियां इस बात को देखते हुए निर्धारित की जानी चाहिएं कि बच्चों के माता-पिता उस समय क्या काम कर रहे होते हैं। किसान चाहेंगे कि उनके बच्चे खेती-बाड़ी के काम में उनका हाथ बटाएं; कारीगर चाहता है कि उसका बच्चा उसकी दस्तकारी में उसकी सहायता करे। अगर इस तरह समय रखा जाए जिससे कि वे उस तरह करते हुए पढ़ भी सकें तो मैं समझती हूं कि स्कूल जाने वाले बच्चों की केवल संख्या ही न बढ़ेगी बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अगर पढ़ाने में उसी का इस्तेमाल किया जाए जिसे कि बच्चा जानता है तो इससे पढ़ाई आसान हो जाएगी, मसलन अगर कोई कपास उगाने वाले किसान का बच्चा है तो उसे हिसाब आदि सिखाने में कपास का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि यही वह विषय है जिसके बारे में उसके घर में बातचीत होती है और यह ही ऐसा विषय है जो उसमें दिलचस्पी पैदा करता है। जैसा आप सबको याद होगा कि अपने बचपन में हम लोगों ने पौन्ड, शिलिंग और पेन्स के बारे में पढ़ा, हालांकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं था, कभी यह भी मालूम न चल पाया कि उनके अर्थ क्या हैं लेकिन हमने उन्हें याद किया था। उन स्थानों पर जहां सेब नहीं उगाए जाते बच्चों को सेब के बारे में पढ़ाया जाना कोई अर्थ नहीं रखता। वैसे उन्हें इसके बारे में पढ़ना तो चाहिए। लेकिन अगर अध्यापक स्थानीय बच्चों की जानकारी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम और ज्ञान वृद्धि के लिए शिक्षण पद्धति में लचीलापन ला सकें तो मेरा विश्वास है कि इस तरह पूरा कार्यक्रम अधिक सफल होगा।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

लघु उद्योग की सहायिका लाख

डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श

लाख उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में विशिष्ट स्थान है। यहां विश्व के उत्पादन का 80 प्रतिशत लाख पैदा किया जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा असम देश के प्रमुख लाख उत्पादक राज्य हैं। इनमें बिहार में कुल लाख उत्पादन का 41 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 26 प्रतिशत उत्पादन होता है।

लाख उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है और प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक स्थलों पर इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में लक्ष गृह का प्रसंग आया है जो लाख द्वारा निर्मित था। अमर कोष के गुप्तकालीन लेखक ने लाख के कई नाम बताए हैं, यथा लाक्षा, राक्षाजतु, याव, अलक्त, द्रुमामय। मुगल काल में लाख का उपयोग अनेक कार्यों में होने लगा था और इसका विवरण "आइने अकबरी" में विस्तार से मिलता है। जे० एम० वान, लिन्सोटिन ओरटरी नामक विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत में भी भारत के लाख उद्योगों की चर्चा की गई है।

लाख का उत्पादन परजीवी कीड़ों द्वारा होता है जो 100 से अधिक पेड़-पौधों पर पाले जा सकते हैं। इन वृक्षों में कुसुम, पलास, बेर, खेर, बबूल, पीपल, कचनार, ढेलुर, अरहर, भौंट इत्यादि प्रमुख हैं। यह कीड़ा वृक्षों, लताओं और झाड़ियों का रस चूसकर पलता है। इन कीड़ों (लैक्सीफर लेक्का तथा टेकारलिया लेक्का) की विशेष ग्रन्थियों से जो श्राव निकलता है वही लाख है। लाख के कीड़े एक से दो मिलीमीटर लम्बे होते हैं और इनमें मादा कीटों की संख्या नर कीटों से अधिक होती है। विचित्र जीवन होता है इन नर-मादा लाख कीटों का। जवान होने पर जब नरकीट मादा कीट से मिलता है तो अपनी मृत्यु का आह्वान करता है। उसकी मिलन की घड़ी केवल चार दिनों की होती है। उसके बाद नरकीट मर जाता है और मादा अंधी होकर अपने पैर खो बैठती है। वह अपने को लाख के आवरण में बंद कर लेती है और 200 से एक हजार तक अंडे देती है।

मादा और नरकीट एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। नर में कुल एक जोड़ी पंख होते हैं और कुछ पंखहीन होते हैं। मादा पंखहीन होती है। मादा की अपेक्षा नर छोटा और अल्पायु होता है। प्रत्येक मादा 300 से 1000 तक लार्वे पैदा करती है। अंडों से लार्वा निकलने के पहले ही फसल की कटाई होती है।

निषेचित अंडों वाली मादा से युक्त कुछ टहनियों को बीज के तौर पर उपयोग में लाते हैं। इसे ब्रुडलैक कहते हैं। ब्रूडलैक को छः इंच या एक फीट लम्बे टुकडे में बांट लेते हैं। टहनी में ब्रुडलैक को ऐसी जगह बांधते हैं कि ब्रुडलैक के टुकड़े की लम्बाई से 15-20 गुना लम्बी टहनी बची रहे।

एक विचित्रता यह भी है कि मादा बिना नरकीट से सम्पर्क किए भी अंडे दे सकती है। इन मादा कीट जन्तु को आसन्सेचित जाति का कीड़ा कहा गया है। अंडों से निकलने के बाद लारवी आवरण से निकल कर वृक्षों पर रहने लगते हैं मादाएं नर से अधिक लाख बनाती हैं। प्रत्येक कीड़ों की वर्ष में दो जीवन यात्राएं होती हैं और इस प्रकार प्रत्येक साल बैसाख, ज्येष्ठ अगहन और कार्तिक महीनों में लाख की फसल एकत्रित की जाती है। बैसाख की फसल सबसे अधिक होती है और जो कुसमी वृक्ष पर 36 पौंड तथा पीपल पर 40 पौंड तक हो सकती है।

लाख प्राप्त करने के लिए वृक्ष की टहनियां काटकर चाकू से छीलकर कच्ची लाख प्राप्त की जाती है। जब टहनियों से लाख कीट बाहर चले जाते हैं तो उसे फूकी लाख कहते हैं और आरी लाख उसे कहते हैं जहां जिन्दा कीड़े रहते हैं। लाख एक प्राकृतिक पदार्थ है और उसके अपने विशेष गुण हैं। यह सस्ते और आसानी से मिलने वाले घोलकों में घुल जाता है और इससे अच्छी वारनिश तैयार की जा सकती है और इसमें जोड़ने की अच्छी क्षमता रहती है तथा हाइड्रोकार्बन पर भी कोई प्रभाव नहीं

[illegible] भी कच्ची तरह बिकती है।

लाख की खेती को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। तूफान, वर्षा, ओले आदि के अतिरिक्त रीढ़धारी जन्तु भी इसे नुकसान पहुंचाते हैं गिलहरी, चूहे तथा कटफोड़वा लार्वे को बड़े रुचि से खाते हैं।

अपने गुणों के कारण लाख अनेक प्रकार के कामों में उपयोग में आती है किन्तु रोगनसाजी में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। प्राचीन काल में लाख का उपयोग वैद्यक में भी होता था। रक्त प्रदर, काश, ज्वर और दाह इत्यादि रोगों की औषधियों में इसको प्रयुक्त किया जाता था। कच्ची लाख को पानी में धोकर उसके लाल रंग से कपड़ा रंगाई का काम भी एक लम्बे समय से किया जा रहा है।

लाख लकड़ी फर्नीचर पर पालिश करने के काम में तो आती ही है, इससे चमड़े में रंग और मोम मिलाकर फर्शो पर पालिश करने का मसाला भी बनाया जाता है। पहले ग्रामोफोन के रिकार्ड लाख के ही बनाएं जाते थे। बिजली के कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोहर लगाने में इसका उपयोग तो सर्वविदित है। मिट्टी की वस्तुओं में भी लाख चढ़ाकर उसे सुन्दर और चमकीला बनाया जाता है। चुनार के बर्तन तो इसके लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं। लाख की चड़ियां और खिलौने किसका मन नहीं लुभाते। पीतल के वर्तनों में भी लाख का काम किया जाता है और एशट्रे, फूलदान, तश्तरियां दीवटें, इत्यादि न जाने कितनी आकर्षक वस्तुएं ड्राइंगरूम की शोभा बढ़ाती है। इतना ही नहीं गोंद, सीमेंट, आतिशबाजी, नेलपालिश आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है।

भारत में कच्ची लाख का वार्षिक उत्पादन करीब 35 लाख टन है जिसमें 95 प्रतिशत विदेशों को निर्यात किया जाता है। इस रूप में यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। विदेशों में सफेद लाख की बड़ी मांग है और इसके लिए लाख में सोडियम हाईपोफ्लोराइड का घोल मिलाकर उसे रंगहीन बनाया जाता है।

विदेशों में हमारी लाख के प्रमुख खरीददार चीन, अमरीका, ब्रिटेन और रूस हैं। लाख उत्पादन में करीब 35 लाख लोग लगे हुए हैं। वनों में प्राकृतिक ढंग से पैदा होने वाली लाख का संग्रह प्रायः आदिवासियों द्वारा किया जाता है। लाख उत्पादन देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत के सिवाय थाईलैण्ड और बर्मा में भी लाख का उत्पादन होता है। अब संश्लिष्ट लाख भी बनने लगी है।

लाख उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 1925 में भारतीय लाख अनुसंधानशाला की स्थापना की गई थी जिसमें विगत अर्धशती में लाख कृषि के लिए उन्नत तरीकों की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय लाख विकास परिषद, रांची भी लाख उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील है।

मध्य प्रदेश में भी लाख उत्पादन को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में बनोपज की प्रमुख वस्तुओं के राष्ट्रीयकरण के कारण इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। राज्य में लाख उत्पादन के मुख्य 9 लाख उत्पादक परिक्षेत्र हैं जिनके नाम हैं, कटंगी परिक्षेत्र, वारासिवनी परिक्षेत्र, लालबर्रा परिक्षेत्र, बालाघाट परिक्षेत्र, हट्टाकीन्हीं परिक्षेत्र, गोदरी परिक्षेत्र, पूर्वी लांजी परिक्षेत्र, पश्चिमी लांजी परिक्षेत्र तथा लौगुर परिक्षेत्र।

लाख के ठेके ठेकेदारों को एक वर्ष के लिए दिए जाते हैं। ये ठेके लाख धारण करने वाले वृक्षों पर लाख बोने और इकट्ठा करने के लिए होते हैं। लाख साफ करने के लिए रायपुर और बिलासपुर जिले में अनेक स्थानों में कारखाने स्थापित हैं। इनमें से कुछ में चपड़ी भी बनाई जाती है। लाख इकट्ठा करना आदिवासियों का परम्परागत व्यवसाय है। वे इसे झाड़ों से खुरचकर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं, जहां से उसे खरीदकर कारखानों में शुद्ध किया जाता है।

सीहोर में लाख के काम का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था स्थापित की गई है जो पांच वर्ष में 60 व्यावसायिक शिल्पियों को प्रशिक्षण देगी। एक पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होती है और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समुचित आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है।

लाख से बनी वस्तुएं विदेशों में दिनोदिन लोकप्रिय हो रही हैं और इनका वार्षिक निर्यात 15 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चपड़ा, लाख में चमड़ा, बटन, मोमरहित तथा रंगरहित लाख प्रमुख हैं ग्रामीण क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए लाख उद्योग एक अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है और इसके लिए लाख की कृषि का क्षेत्र बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। □

—डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श
उप संचालक
संभागीय प्रकाशन कार्यालय
जगदलपुर (बस्तर)

तेल की हर बूंद कीमती है, इसे बचाइए !

समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

पिछले मानसून के दौरान उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में आए भीषण तूफानों के फलस्वरूप मछली पकड़ने के कार्य में विभिन्न बाधाएं आई फिर भी भारत ने चालू वर्ष में पिछल वर्ष की अपेक्षा समुद्र से अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी। पिछले वर्ष 13.78 लाख टन मछलियां पकड़ी गई थीं। चालू वर्ष के दौरान 14.26 लाख टन मछलियां पकड़ने का अनुमान है। इस प्रकार 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1980-81 में केवल 12.50 लाख टन मछलियां पकड़ी गई थीं।

चालू वर्ष के दौरान मछली का कुल 24.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1981-82 में 24 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ।

मछली का रिकार्ड निर्यात

वर्ष 1982 में समुद्री उत्पादों का निर्यात एकदम बढ़कर 342 करोड़ रुपये हो गया जो कि अब तक का रिकार्ड है। वर्ष 1981 में मछली का 286 करोड़ रुपये और वर्ष 1980 में केवल 216 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। मछली के निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हाल ही में अपनाई गई समुद्र में मछली पकड़ने की नीति का परिणाम है।

सरकार मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को, मछली पकड़ने के लिए जलपोत प्राप्त करने हेतु नरम ऋण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करती रही है। सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरान इन कम्पनियों को 5.75 करोड़ रुपये का ऋण दिया। यह राशि पिछले पांच वर्षों में दिए गए कुल ऋण से भी अधिक है।

गहरे समुद्र में सरकार के स्वामित्व वाले जलपोत के मछली पकड़ने के कार्य में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या 68 से बढ़ाकर 135 कर दी गई है। निकट भविष्य में मद्रास मत्स्यन पत्तन के पूरा हो जाने से देश में पांच आधुनिक बड़े मत्स्यन पत्तन हो जाएंगे। लघु मत्स्यन पत्तनों और माल उतारने वाले छोटे केन्द्रों की संख्या में 68 से बढ़ाकर 92 की जा रही है। भारतीय जल क्षेत्र में चोरी छिपे मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए अगस्त 1982 में सांविधिक नियम अधिसूचित किए गए हैं। □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित 22 लाख परिवार लाभान्वित

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 1982-83 के दौरान, इस कार्यक्रम से इन जातियों के 41.5 प्रतिशत से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचा, जबकि निर्धारित लक्ष्य 30 प्रतिशत रखा गया था। फरवरी 1983 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 22 लाख लाभान्वित परिवारों में से 6.73 लाख अनुसूचित जाति तथा 2.37 लाख अनुसूचित जनजाति के थे। इससे पहले वर्ष में इस कार्यक्रम से लाभान्वित इन जातियों के परिवारों की प्रतिशतता 35 थी।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम के लिए 176.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की जबकि पिछले वर्ष 128.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके अलावा, 380.72 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 570.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1982-83 में प्रति व्यक्ति आर्थिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता की राशि 928 रुपये से बढ़कर 1036 हो गई वहां प्रति व्यक्ति ऋण की राशि भी 1713 रुपये से बढ़कर 2076 रुपये हो गई। इस प्रकार वर्ष 1981-82 में कुल प्रति-व्यक्ति निवेश 2641 रुपये से बढ़कर 3112 रुपये हो गया है। गत वर्ष की अपेक्षा, राज्यों में इस वर्ष इस कार्यक्रम को लागू करने की गति में पर्याप्त तेजी आई है। दिसम्बर, 1982 तक, पिछले वर्ष दिसम्बर, 1981 तक की अवधि की तुलना में 28.3 प्रतिशत अधिक धन-राशि खर्च की गई।

योजना के कार्यान्वयन में अन्य कठिनाइयों में एक उचित प्रशासनिक ढांचे

[illegible] है। [illegible] राज्यों, [illegible] शासित प्रदेशों में से, जिनके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई है, केवल तीन राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में ही राशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन किया है। दूसरा कारण है परियोजना निदेशकों और जिला मजिस्ट्रेटों जैसे मुख्य अधिकारियों का जल्दी-जल्दी तबादला।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अब बीस सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण [illegible] है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक करोड़ पचास लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि केन्द्र और राज्यों को बराबर-बराबर दी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक [illegible] में प्रति वर्ष 600 परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें लगभग 400 लाभान्वित परिवारों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होने की संभावना है और कुल सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या के कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के होने चाहिएं। वर्ष 1981-82 से ही लाभान्वित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक रही है। □

छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाए जा रहे

रोजगार सृजन के कार्यक्रम तथा नीतियां

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विशाल सिंचाई कार्यक्रमों (लघु सिंचाई के उच्च संघटकों सहित) सुधार किए हुए कृषि सम्बन्धी इन्पुट्स आदि को विशेषकर छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन।
2. देश में सभी ब्लाकों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार। यह पहले किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 1980–85 की अवधि के दौरान लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा।
3. छठी योजना अवधि के दौरान आपरेशन फ्लड II डेरी विकास परियोजना से लगभग 80 लाख मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है। अन्य डेरी विकास योजनाओं से 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा।
4. मत्स्य-पालन का विकास।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) देश के सभी ब्लाकों में लागू होता है तथा इससे विशेषकर मन्दे कृषि मौसम में मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 30 से 40 करोड़ व्यक्ति-दिनों का सृजन होगा।
6. लघु उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग वाले क्षेत्रों जो कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य उपलब्ध कराते हैं, के लिए योजना विनियोजन को बढ़ाया गया है। योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 90 लाख व्यक्तियों को हैण्डलूम, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर आदि सहित खादी और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी सहायता कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की संभावना है।
7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों से निर्माण उद्योगों में काफी रोजगार सृजित होने की संभावना है और इस कार्यक्रम द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा समाज सेवाओं के विस्तार से भी पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें तथा इन व्यक्तियों को अपने उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रोजगार स्कीमों को और सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाएगा।
9. पर्यावरण स्वच्छता, गन्दी बस्तियों का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आदि कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के बारे में अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है। देश के अधिकांश जिलों में स्थापित किए गए जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में स्थानीय स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाएंगी। परिषदों को उपयुक्त व्यावसायिक समर्थन दिया जा रहा है और जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों द्वारा उनके कार्य में सक्रिय रूप से सहायता दी जाएगी।
11. स्व-नियोजितों के लिए नया व्यवहार छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह नीति सम्बन्धी उपायों का एक "पैकेज" है जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं, प्रशिक्षण, विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं। □

नींबू का दैनिक जीवन में प्रयोग

श्रीमती स्नेह दहिया ✳ श्रीमती कृष्णा खाम्बरा

1. मोटापे से मुक्ति पाने के लिए प्रातः उठते ही एक गिलास जल में एक नींबू का रस तथा दो चम्मच शहद मिला कर पीने से लाभ होता है ।
2. सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय लेने वाले यदि गर्म पानी में शहद तथा नींबू मिला कर लें, तो सुबह ही कुल्ला करने से पहले चाय लेने की बुरी आदत छूट जाती है ।
3. बर्फ के पानी में नींबू तथा शहद मिला कर पीने से उल्टी और दस्त रोकने में मदद मिलती है ।
4. नींबू के रस में मलाई मिला कर रात को मल कर सोने से एक महीने में चेहरे के रंग में काफी निखार आ जाता है।
5. एक चम्मच मलाई, चार चम्मच नींबू का रस, 25 ग्राम बेसन, 10 ग्रा० तिल का तेल, एक चुटकी हल्दी मिला कर उबटन बना लिया जाए और नहाने से 10–15 मिनट पूर्व मुंह पर मल लिया जाए तो महीनों का असर सप्ताहों में होता है। बच्चों को आरम्भ में ही उबटन मल दिया जाए तो उनके शरीर पर अवांछित बाल कम उगते हैं और त्वचा साफ व सुन्दर बनी रहती है ।
6. गर्भावस्था में नींबू का प्रयोग बच्चे को पुष्ट करने के साथ-साथ सुन्दर भी बनाता है तथा खटाई, अमचूर, इमली, टाटरी आदि की बजाए बहुत उपयोगी है।
7. बहुत ही हल्के नींबू के घोल (एक बाल्टी पानी व एक नींबू का रस) में धुले कपड़े डाल कर थोड़ी देर रखने से इनमें टीनोपाल से भी अधिक चमक आ जाती है ।
8. कपड़ों पर दाग या स्याही लगने की स्थिति में उस जगह नींबू का रस व नमक मल कर कुछ देर धूप में रख कर बाद में धोने से दाग साफ हो जाते हैं।
9. बर्तनों को रस निचुड़े नींबू की फांक से रगड़ कर साफ किया जाए तो बहुत चमक आ जाती है ।
10. पुराने दाल व चावल पकाने पर सही रंग लाने के लिए नींबू का प्रयोग करें । चावल बनाते समय नींबू की कुछ बूंदें डालने से चावल दाना-दाना हो जाते हैं।
11. दाल, सब्जी, रायता, सलाद आदि में नीबू निचोड़ने से इसका स्वाद बढ़ जाता है ।
12. जहां वायु में आक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां सांस लेने में नींबू सहायता करता है ।
13. बस में चक्कर व मतली आदि आने से रोकने के लिए नींबू सेवन उपयोगी है ।
14. जहां भी मैल या गंदगी होगी खटास उसे दूर कर देगा चाहे यह गन्दगी त्वचा में हो या हड्डी में । इसी लिए निखार की दृष्टि से भी नींबू आदर्श है।
15. नींबू से कई पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे शिकंजी, शरबत, स्कवेश आदि ।
16. नींबू से कई तरह के अचार बनाए जाते हैं ।
17. नींबू का रस कई चीजों में परिरक्षक की तरह प्रयोग किया जाता है ।
18. नींबू कई रोग होने से बचाव करता है तथा होने पर निवारण करता है जसे, जुकाम, स्कर्वी आदि ।
19. नींबू कई खाद्य पदार्थों को जसे लोहा, कल्शियम आदि को पचाने में सहायक है ।
20. कभी-कभी बालों में नींबू का रस लगाने से बालों में चमक आ जाती है तथा सिकरी कम होती है ।
21. नींबू का रस, ग्लीसरीन व गुलाब जल मिला कर लगाने से त्वचा फटती नहीं । सर्दियों में पांवों की एड़ी, हाथों की कोहनी, होंठ, गाल आदि के लिए यह मिश्रण बहुत उपयोगी है ।
22. नींबू रसायनिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है जैसे साबुन बनाने तथा डिटर्जेंट बनाने आदि में ।
23. कमजोर दिल वालों को नींबू का शरबत पीना बहुत लाभप्रद है । गर्मी में यह ठण्डक प्रदान करता है । □

नींबू का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। नींबू छोटे-2 रोगों के निवारण से लेकर भोजन को स्वादिष्ट बनाने तथा कपड़ों व बर्तनों से लेकर रक्त तथा त्वचा तक में निखार लाने की दृष्टि से बेजोड़ है। नींबू में विटामिन "सी" प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में इसके साथ-साथ कई प्रकार के अम्ल जैसे साइट्रिक एसिड, एस्कारबिक एसिड, खनिज लवण, खटास, प्रोटीन कार्बोज, फास्फोरस, तथा, विटामिन "ए" व लोहा आदि भी न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।

नोट :—नींबू के रस का प्रयोग बिना पानी मिलाए नहीं करना चाहिएं क्योंकि अकेला रस गले, छाती में और दिल में जलन पैदा करता है । इसके रस को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए ।

जलकुम्भी : अभिशाप भी वरदान भी

गणेश कुमार पाठक

हमारे देश में जलकुम्भी नामक यह वनस्पति सम्भवतः 1816 ई० में, ब्राजील से आई, जो कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश असम, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और मध्यप्रदेश में करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अपना साम्राज्य कायम कर चुकी है। जलकुम्भी को मुख्य रूप से नीलाकणा, समुद्रसोख, ज्वालामुखी और जलसम्बुल आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इक्रोनिया क्रेसीपस है।

[illegible] देश के प्रायः अधिकांश तालाबों, बड़े बड़े नहरों एवं नालों में पानी की सतह पर हरे-भरे चौकोर और कुछ गोलनुमा गुच्छों से युक्त पत्तों वाली वनस्पति फैली हुई दृष्टिगोचर होती है जो सम्पूर्ण जल क्षेत्र के अवारण को ढकी रहती है एवं दूर से अवलोकन करने पर अत्यन्त आकर्षक व लुभावनी दृष्टिगोचर होती है। इसकी सुन्दरता तब और अधिक द्विगुणित हो जाती है जब इसमें गुच्छों की तरह लाल, सफेद, गुलाबी एवं लाल तथा नीले फूल निकल आते हैं। यह वनस्पति जलकुम्भी नाम से प्रचलित है, जिसकी लम्बाई सम्भवतः 3 से 10 मीटर तक होती है तथा इसकी जड़ें थिरकते मयूर के फैले डैनों की तरह पानी में फैली रहती हैं।

जलकुम्भी जिस भी तालाब में अपना साम्राज्य कायम कर लेती है, उसकी सुन्दरता को सर्वप्रथम नष्ट कर देती है। इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदयपुर की प्रसिद्ध पिछौला झील में जलकुम्भी ने अपना इतना अधिक साम्राज्य फैला रखा था कि झीलों की सुरम्य नगरी एक तरह से नरक बन गई थी और इस झील की प्राकृतिक सुन्दरता समाप्तप्राय हो चुकी थी। किन्तु यहां के उत्साही स्वयं सेवी संगठन एवं जनता युद्ध स्तर पर कार्य कर इस झील से जलकुम्भी को निकाल पाने में समर्थ हुए। फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव अब भी बना हुआ है। इसी तरह भोपाल ताल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बलिया का प्रसिद्ध सुरहा ताल भी इससे वंचित नहीं हो पाया है। जलकुम्भी से युक्त जल में सम्भवतः 30 ऐसे छोटे-छोटे जीवाणु एवं कीटाणु पाए जाते हैं जो सम्पूर्ण जल क्षेत्र को रोगग्रस्त कर देते हैं। जलकुम्भी में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व पाए जाते है:–

तत्व	मात्रा (प्रतिशत में)
1	2
कच्चा प्रोटीन	–15 से 23
नाइट्रोजन	– 4
पोटाश एंव फास्फोरस	– .4
जल	–75 से 80

जलकुम्भी से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हैं, बशर्ते कि इसका सही रूप से उपयोग किया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक डा० शराफत अली के अनुसार जलकुम्भी को कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। दुर्गापुर के केन्द्रीय यान्त्रिकी शोध संस्थान ने जलकुम्भी से मीथेन गैस तैयार करने की प्रक्रिया को विकसित किया है जिसके अनुसार एक किलो निर्जलभार की जलकुम्भी 174 लीटर गैस तैयार होती है। इसी तरह उर्जा के स्रोत के रूप में उदयपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी एक प्रयोग किया है जिसमें एक किलो सूखी अथवा 20 किलो हरी जलकुम्भी से 370 लीटर ईंधन गैस प्राप्त की जा सकती है। इसकी बहुत बारीक कुट्टी को समान अनुपात में गोबर के साथ मिश्रण कर गोबर गैस संयंत्र में भी उपयोग किया जा सकता है।

आयुर्वेद के अन्दर भी जलकुम्भी के अनेक उपयोग बताए गए हैं। जलकुम्भी के तेल से कान बहने की बीमारी का लाभ होता है तथा इसका भस्म दाद तथा गण्डमाला आदि रोगों में लाभदायक होता है। इन्दौर के डा० आर० डी० पुरोहित ने जलकुम्भी में बृद्धि हारमोनों का पता लगाया है, जिसको बीजों पर छिड़कने से बीजों का अंकुरण का प्रतिशत बढ़ता है।

फिलीपाइन्स में जलकुम्भी के रेशों से कपड़ा, कागज, गत्ता, फाईबर और इन्सुलेशन बोर्ड आदि निर्मित किए जाते हैं। इसके रस को वाष्पित कर प्रोटीन, विटामिन और धातुएं प्राप्त की जाती हैं। जलकुम्भी से अच्छी प्रकार की खाद भी बनाई जा सकती है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश आदि तत्वों की बहुलता रहती है। सूखी जलकुम्भी को खाद बनाने के काम में आने वाले अन्य पदार्थों के साथ गड्ढों में परत दर परत डालकर खाद तैयार की जा सकती है। श्रीलंका में जलकुम्भी से बनी खाद को गारबेज जेम्स कहा जाता है। इसकी बिक्री बाजार में भी होने लगी है।

जलकुम्भी का उपयोग प्रदूषण निवारण में भी किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्दर पानी में स्थित भारी धातुओं को सोखने की असीमित क्षमता होती है जो सीसा, ताम्बा, निकल, चांदी

[शेष पृष्ठ 29 पर]

शाक एवं पुष्प उत्पादन : लेखक : गंगाशरण सैनी, प्रकाशक : रामा पब्लिशिंग हाऊस, बड़ौत, मेरठ, पृष्ठ संख्या: 262, मूल्य : 13.25 रुपये।

स्वतन्त्रता के बाद तो हिन्दी में साहित्य की बाढ़ सी आ गई। साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रचुर साहित्य धड़ाधड़ प्रकाशित किया जाने लगा। परन्तु तकनीकी क्षेत्र में श्रेष्ठ साहित्य का अभाव बना रहा। बहुत कुछ तकनीकी साहित्य अनुचित प्रकाशित हुआ है और उन में से भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनुवाद घटिया होने के कारण बेजान-सा लगता है। अतः हिन्दी में जब कभी तकनीकी विषय पर कोई मौलिक रचना प्रकाशित होती है तो उस का स्वागत वांछनीय है।

कृषि विज्ञान पर यों तो ढेरों साहित्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली और कुछ कृषि विश्वविद्यालय प्रकाशित कर रहे हैं पर विज्ञान की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई शाखाओं, अनुसन्धानों व उपलब्धियों को देखते हुए कृषि साहित्य में प्रकाशन की बहुत गुंजाइश है। प्रस्तुत पुस्तक साग-भाजियों और फूलों की खेती पर विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करती है। पुस्तक में विभिन्न साग-सब्जियों की प्रजातियों, उनके लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, खाद-उर्वरक, सिंचाई, बुआई के समय, बीज की मात्रा, पौध, निराई-गुड़ाई, कीट-व्याधियां व उनकी रोकथाम, इतिहास व उत्पत्ति, पोषण मान आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही वैज्ञानिक जानकारी तथा नवीनतम उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इस सुपाठ्य व सुबोध सामग्री के कारण यह पुस्तक न केवल कृषि छात्रों के लिए उपयोगी है बल्कि कृषि विस्तार सेवा के कार्यकर्त्ताओं, किसान भाइयों, घर की बगिया लगाने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है।

सब्जियों के पोषण गुण के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन्तुलित आहार और रुचि-परिवर्तन के सन्दर्भ में यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

लेखक ने सब्जियों व फूलों को वानस्पतिक नाम देकर बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये वानस्पतिक नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

लेखक इस बात के लिए भी बधाई का पात्र है कि उस ने अलंकृत उद्यान, राजमार्गों के किनारे फूल व छायादार वृक्ष लगाने, हरियाली, बाड़ लगाने, झाड़ियां लगाने, मौसमी फूल और उनके वर्गीकरण, गुलाब, केली, गुलदाउदी, चमेली एंजिग, सब्जियों के भण्डारण व परिरक्षण पर विशद सामग्री दी है। ऐसी सामग्री एक जगह मिलने से बड़ी सुविधा होती है।

पुस्तक की भाषा सरल व प्रवाहमयी है।

स्थान-स्थान पर रेखाचित्र देकर सामग्री की उपादेयता में वृद्धि हुई है। कहीं-कहीं रेखाचित्रों के शीर्षक (जैसे पृष्ठ 184 व 244 के सामने) अंग्रेजी में दिए गए हैं। इन्हें हिन्दी में देना आवश्यक था। चित्रों के अन्दर भी नागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए था।

सब मिला कर पुस्तक का गेट-अप, सामग्री, चयन-प्रणयन व योजना सुन्दर है।

ब्रजलाल उनियाल,
के०-38, एफ साकेत,
नई दिल्ली-17

ज्ञानी चूहा : लेखक : मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ; पृष्ठ सं० : 48 मूल्य: छः रुपये।

कहते हैं कि यदि किसी को अपना भविष्य सुधारना है तो वह पहले अपना वर्तमान सुधारे, उसे पुष्ट बनाए, उसे शीशे जैसा स्वच्छ और जल जैसा निर्मल बनाए। वर्तमान परिवेश में यदि बच्चों को देश का "वर्तमान" समझकर उसे सुधारने के उद्देश्य से उन्हें एक नई दिशा दिखाई जाए और चरित्रवान बनाने के लिए उनके आचार-विचार और मन को स्वच्छ बनाया जाए तो निस्सन्देह देश के भावी कर्णधार बच्चे, जो देश का भविष्य भी हैं, निश्चित रूप से स्वच्छ आचार-विचार के और सुसंस्कृत एवं सभ्य नागरिक बनेंगे। देश का भविष्य स्वयंमेव ही शीशे जैसा स्वच्छ होगा। देश की छवि विश्व के क्षितिज पर एक नया आयाम लेकर उभरेगी। बच्चों में अच्छे आचार-विचारों को स्वच्छ बनाने और उनके मन को सुविचारों से ओतप्रोत करने का कर्त्तव्य न केवल देश के बुजुर्गों का ही है अपितु देश के प्रत्येक उत्तरदायी नागरिक का है।

इसी कर्त्तव्य को निभाते हुए देश के सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार श्री मन्मथनाथ गुप्त द्वारा बड़ा ही सुन्दर नौ कहानियों का एक संकलन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं। "ज्ञानी चूहा" भावी खतरे की संभावना को दूर करने की युक्ति बताता है तो

[illegible] हुए [illegible] की [illegible] किए [illegible] [illegible] कि देश को दरिद्रता के [illegible] से बचाने के लिए [illegible] की मदद की जाए [illegible] को सबक सिखाया जाए। दूसरी ओर "छोटे छुरे" में अपराधी मन को सुधारने के लिए क्षमादान का ही रास्ता उचित है। इसी प्रकार "होनी" में भी मनुष्य की क्षमाशील प्रवृत्ति को महत्ता दी गई है। इस संकलन में "खुली खिड़की" नामक कहानी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस कहानी में स्वतन्त्रता की महत्ता को दर्शाते हुए जीव प्रेम को महत्ता दी गई है। साथ ही स्वतन्त्रता सेनानी के नाते लेखक ने बता दिया है कि स्वतन्त्रता पृथ्वी के प्रत्येक प्राणि का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे छीनना महापाप है। इससे मन को शान्ति नहीं मिलती इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे की स्वतन्त्रता की रक्षा करना मनुष्य का परमधर्म ही नहीं अपितु सबसे पहला कर्त्तव्य है जिसे मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए।

प्रस्तुत संकलन काफी सरस एवं दिलचस्प बन पड़ा है। मूल्य के विषय में यह कहना अनुचित न होगा कि ऐसी बाल उपयोगी पुस्तकों का मूल्य कम ही होना चाहिए। साज-सज्जा आकर्षक है। अन्त में कुल मिलाकर यह कह देना अन्योक्ति न होगी कि श्रद्धेय श्री मन्मथनाथ गुप्त जी ने पहले पहल स्वतन्त्रता की लड़ाई में कूद कर देश को स्वतन्त्र कराने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और अब ऐसी सरस एवं बाल उपयोगी कहानियां लिखकर बच्चों का एक स्वच्छ एवं सुदृढ़ चरित्र बनाने में अपना कर्त्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। धन्य हैं ऐसे महान पुरूष।

अखिलेन्द्र पाल सिंह,
ए-75-सूर्य नगर,
दिल्ली-यू० पी० बार्डर,
गाजियाबाद (उ० प्र०)

तोता मैना : संकलनकर्ता एवं प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृष्ठ संख्या : 59, मूल्य : छः रुपये पचास पैसे।

प्रस्तुत बाल कहानी संकलन में पक्षियों की कहानियां संकलित हैं। पशु-पक्षियों का मानवीकरण पाठकों के लिए नया नहीं है। पंचतंत्र की कथाओं में तो ऐसी कहानियों का भण्डार है। भारत में ही नहीं विदेशों के विभिन्न साहित्यों में भी पशु-पक्षियों पर आधारित कहानियां देखी जा सकती हैं। नन्हें-मुन्ने बच्चों को पशु-पक्षियों की कथाएं सुनने-पढ़ने में बड़ा रस मिलता है। ऐसी कहानियों के माध्यम से दी गई दीक्षा बाल मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। विभिन्न लेखकों द्वारा रची गई कहानियां और लोक-कथाएं इस संकलन में बड़ी ही सरल भाषा में और रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। संकलित प्रत्येक कहानी से बालक कोई न कोई शिक्षा सहज ग्रहण कर सकता है। प्रस्तुत संकलन में निहित कोई कहानी संगठन में एकता और सौन्दर्य का बोध कराती है, कोई धार्मिक भावना का समावेश कराती है तो कोई अवसर का लाभ उठाने का बोध कराती है। यहां तक कि उचित न्याय क्या है और कैसे किया जाए इसका रास्ता भी बयां बड़ी ही कुशलता से कराती है "शरणागत की रक्षा" नामक कहानी से तो बच्चे झूम-झूम उठते हैं। कुल मिला कर संकलन में प्रत्येक लेखक की रचना का चयन देखते ही बन पड़ा है। मगर हां अन्तिम कथा "अद्भुत उदारता" अपने पीछे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। प्रश्न यह है कि क्या बलवान का कर्त्तव्य इतना ही है कि मौके पर काम निकाल कर उसे भूल जाए और कभी काम न आए। ऐसे सुन्दर कहानी संकलन में बस विशाल त्रिपाठी की "अद्भुत उदारता" ही खटकती है। आखिर वे बच्चों को इस कहानी के माध्यम से क्या जताना चाहते हैं? क्या उनके बाल मस्तिष्क की कसरत करवाना चाहते हैं? साज-सज्जा आकर्षक है। मूल्य छः रुपये पचास पैसे ऐसी पुस्तकों के लिए अधिक है। कुल मिलाकर संकलन रोचक बन पड़ा है। □

वन्दना राघव,
ए-74, सूर्य नगर, दिल्ली-यू० पी० बार्डर,
गाजियाबाद

जलकुम्भी : अभिशाप भी, वरदान भी ....

(पृष्ठ 27 का शेषांश)

केडनियम, जस्ता तथा क्रोमियम जैसी धातुओं को सोख लेती है। अमेरिका का अंतरिक्ष प्रशासन 'नासा' अपनी फोटोग्राफिक प्रयोगशाला का प्रदूषण दूर करने के लिए जलकुम्भी का ही प्रयोग कर रहे हैं। आधे हेक्टेयर में फैली जलकुम्भी सम्भवत: 1000 लोगों के मलमूत्र वाले जल को मात्र दो सप्ताह में शुद्ध कर सकती है। उड़ीसा में स्थित, 'जैक पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीच्यूट भी प्रदूषण को दूर करने के लिए जलकुम्भी का प्रयोग कर रहा है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि जलकुम्भी से होने वाली हानियों की अपेक्षा लाभ अधिक है। इसलिए देश के विभिन्न भागों में फैली जलकुम्भी को अभिशाप की जगह वरदान में परिणित किया जाना अभीष्ट है।

गणेश कुमार पाठक,
प्राध्यापक, भूगोल विभाग,
महाविद्यालय दूबेछपरा, बलिया
(उ० प्र०)

केन्द्र के समाचार

वर्ष 1983-84 में सिक्किम के 42 गांवों के लिए बिजली

सिक्किम में ग्रामीण विद्युतीकरण पर, जो कि बीस-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है, तेजी से अमल हो रहा है । वर्ष 1983–84 के लिए 42 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्य के लिए 42 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है ।

राज्य में वर्ष 1982-83 में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य लक्ष्य से अधिक हुआ और 25 गांवों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 31 गांवों में बिजली पहुंचाई गई ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सिक्किम में अब तक 405 में से 112 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है ।

1983-84 में लगभग 2 लाख ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

वर्ष 1983-84 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत 40.97 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है । जम्मू एवं कश्मीर, केरल, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को छोड़ कर चालू वर्ष के अन्त तक सारे देश को इस परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा । जम्मू एवं कश्मीर, केरल, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश में वैकल्पिक योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

चालू वर्ष के दौरान 1,83,379 ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा इस परियोजना को 899 शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लागू किया जाएगा । पिछले वित्त वर्ष के अन्त तक 3,911 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस परियोजना को लागू किया गया था तथा 2,36,748 ग्रामीण गाइडों को प्रशिक्षित किया गया था ।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करना है । इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनके घरों तक उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ।

इस परियोजना के अन्तर्गत 1,000 जनसंख्या वाला एक गांव या समुदाय एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करता है जो समुदाय की सेवा करने का इच्छुक है और जिसे समाज के लोगों का विश्वास प्राप्त है ।

सरकार का उत्तरदायित्व गाइडों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें तकनीकी सहायता देने तक सीमित है ।

देश में यह योजना 2 अक्तूबर, 1977 को शुरू की गई थी तथा इसे चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

इस योजना का छठा तथा अंतिम चरण पहली अप्रैल, 1983 को शुरू हुआ ।

आदिवासी लोगों को मुफ्त नमक देने की व्यवस्था

केन्द्रीय सरकार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों में नमक वितरित करने के लिए राज्यों को मुफ्त नमक देगी । यह आश्वासन केन्द्रीय कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के चार सदस्यीय एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई भेंट के दौरान दिया । वित्त की कमी के कारण राज्य में आरम्भ किए गए राहत कार्यों में कोई रुकावट न आए, इस बात को निश्चित करने के लिए, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने से पूर्व ही मंत्री महोदय मध्य प्रदेश को धन जारी करने की सिफारिश पर सहमत हो गए हैं ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता

भविष्य में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के कार्य को अन्य सभी राहत कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी । जो केन्द्रीय दल राज्यों का दौरा करेंगे वे इस संबंध में राज्य की आवश्यकता का विशेषरूप से उल्लेख करेंगे और इस संबंध में रिगों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के बारे में सुझाव देंगे ।

जहां तक राजस्थान जैसे राज्यों का संबंध है, नहरों से दूर गांव नालियों का निर्माण करके नहर के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं ।

देश में सूखे की स्थिति पर और अधिक सहायता की आवश्यकता पर कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति ने विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया । वर्षा पर निर्भर तथा सूखी जमीन पर खेती के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने के कार्यक्रमों पर भी विचारविमर्श किया । सभी सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में सूखे से हुए विनाश की चर्चा की और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की । उन्होंने कुछ राज्यों में अनाज की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में शिकायत की ।

गांवों में मकानों का निर्माण

ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत इस योजना के आरम्भ होने से लेकर फरवरी, 1983

[illegible] लगभग 107 लाख परिवारों को आवास स्थल दिए [illegible] 22.7 लाख परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता दी गई । 1978 में ग्रामीण आवास योजना के आरम्भ से लेकर फ़रवरी, 1983 तक आवास तथा नगर विकास निगम ने 6,55,596 ग्रामीण आवास एकक स्वीकृत किए हैं । आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना कार्यक्रम अब नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का एक भाग है तथा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है । ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) स्थानीय शासन तथा विकास मंत्रियों को केंद्रीय परिषद् ने अपनी 20वीं बैठक में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित परियोजनाओं । लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ।

(2) समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा ग्रामीण आवास के लिए राज्यों को नियमित जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम ऋणों में से विशिष्ट निधियों को उद्दिष्ट किया गया ।

(3) आवास तथा नगर विकास निगम की 15 प्रतिशत निधियां, ग्रामीण आवास के लिए निर्धारित हैं और

(4) हुडको के ग्रामीण आवास एककों की अधिकतम सीमा लागत को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति एकक कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है । इस क्षेत्र में गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एक जनजातीय विकास योजना कक्ष की स्थापना की है जो अनुसूचित जातियों के जनजातीय उप योजना और विशेष संघटक (कंपोनेंट) योजना को तैयार करने के कार्य में तालमेल करता है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उक्त दोनों योजनाओं के लिए वर्ष 1982–83 के दौरान 25 करोड़ रु० (जनजातीय उप योजना के लिए 11 करोड़ रु० और विशेष संघटक योजना के लिए 14 करोड़ रु०) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1981–82 में इन योजनाओं के लिए 19 करोड़ रु० की राशि रखी गई थी।

3 करोड़ 80 लाख की कुल जनजातीय आबादी में से (1971 की जनगणना के अनुसार) 2 करोड़ 85 लाख लोग जनजातीय उप योजना के क्षेत्रों के अन्तर्गत लाए गए हैं । इन क्षेत्रों में 782 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4,571 उप केंद्र खोले गए हैं । इन क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक उप केन्द्र औसतन क्रमश: 36,500 और 6,235 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं । जबकि अन्य क्षेत्रों में यह संख्या क्रमश: 84,000 और 8,830 है ।

छठी योजना के दौरान खोले जाने वाले 600 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 100 केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है । जनजातीय क्षेत्रों में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों और कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण की पूरी व्यवस्था की गई है लेकिन गैर-जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । छठी योजना के अंत तक जनजातीय क्षेत्रों में जितने केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता है उसके अनुसार शत प्रतिशत उप केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे ।

स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थाओं ने कुछ अनुसंधान परियोजनाएं अपने हाथ में ली हैं जिनमें ऐसी बीमारियों के बारे में अनुसंधान कार्य करना भी शामिल है जिनसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आमतौर पर पीड़ित हैं।

भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय चिकित्सा परिषद् की इन सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को पूर्व स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, सामान्य विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।

छोटे मछुआरों को सहायता

देश में छोटे मछुआरों के लाभ के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(1) मछुओं को उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों के परिरक्षण के लिए 5 प्रतिशत उपदान पर इन्स्यूलेटिड फिश बाक्स सप्लाई किए जाते हैं ;

(2) मछली डालने की स्वास्थ्यकर हैंडलिंग के लिए फिश लैंडिंग प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(3) अधिकतम 10,000 रुपये प्रति पीलिंग शैडों के हिसाब से सुधार/पुनरुद्धार के लिए पीलिंग शैड के मालिकों को वास्तविक व्यय के 20 प्रतिशत तक उपदान दिया जाता है; और

(4) अधिकृत स्थानों अर्थात् पंजीकृत पीलिंग शैडों के सिवाय झींगा की पूर्व प्रोसैसिंग समाप्त करने के लिए प्रमुख लैंडिग केंद्रों के निकट सामुदायिक पीलिंग केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है । □

माटी मेरे गांव की

अब्दुल मलिक खान

रंग बिरंगे फूल खिलाती माटी मेरे गांव की
इन्द्र धनुष धरती पर लाती माटी मेरे गांव की ।

ताजे फल देती खाने को,
धान-पान से झोली भरती ।
प्यास बुझाती शीतल जल से,
कभी किसी से भेद न करती ।

सबसे अपना प्यार जताती माटी मेरे गांव की ।

इधर गगन से पड़े फुहारें,
उधर सुहानी धूप मचलती ।
नई नवेली दुल्हन जैसी,
हर मौसम में रूप बदलती ।

फसलों की चूनर लहराती माटी मेरे गांव की ।

मखमल जैसी हरी दूब पर,
मोर नाचते पर फैलाए ।
कलियों से बतियाती तितली,
कोयल मीठे गीत सुनाए ।

चन्दन जैसी महक लुटाती माटी मेरे गांव की ।

बैलगाड़ी का नया पहिया

केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल ने उन्नत बैलगाड़ियों के विकास पर अनुसंधान प्रायोजना का कार्य अपने हाथ में लिया है । राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, जहां पर कि पशुओं को, जिनमें संकर पशु भी शामिल हैं, ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों को खींचने की शक्ति का अध्ययन किया जाता है तथा कई अन्य स्थानों पर बैलगाड़ियों पर किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप सुधरी किस्म के नमूनों का विकास किया गया है जिनमें रगड़ रोधी बेयरिंग, हवा वाले टायर के पहिए, ठोस रबड़ के पहिये वाली गाड़ी, इस्पात की बाडी वाली बैलगाड़ी, अधिक सामान ले जाने की क्षमता वाली गाड़ियां, अच्छे जुए वाली बैल गाड़ियां और ऐसी गाड़ियां जिनमें ब्रेक लगाने का यंत्र है, शामिल हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में बैलगाड़ियों का विकास अनुसंधान की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, विशेष रूप से इसका कारण ऊर्जा संकट और भारत में केवल 5 प्रतिशत सुधरी किस्म की बैलगाड़ियों का होना है । □

ग्रामीण उद्योगों के लिए नई मशीनें

सरअन्जाम सम्मेलन ने रेशा उद्योग के लिए केले और बांस का रेशा निकालने के लिए कुछ सुधरी किस्म की मशीनों की सिफारिश की है । इसके अलावा सम्मेलन ने कुछ ऐसे नए चाकों की भी सिफारिश की है जिससे मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं की किस्म में सुधार होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह ने समापन भाषण में कहा कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने संसाधित करने से पूर्व और उसके बाद के लिए ऐसे उपकरणों का विकास करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है । उन्होंने आगे कहा कि साबुन का उत्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गैर खाद्य तेल के बीजों का प्रयोग करते समय, जो अन्यथा बेकार हो जाते हैं, आयोग बीजों को एकत्र करने के लिए काफी संख्या में लोगों को, विशेषकर आदिवासियों को, कम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देगा ।

इस सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों और बोर्डों, तकनीकी विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, और वैज्ञानिकों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के नए विकसित उपकरणों और मशीनों की कार्यक्षमता का आयोग द्वारा मूल्यांकन करना और उन्हें अपनाना था । □

बेहतर जीवन की ओर

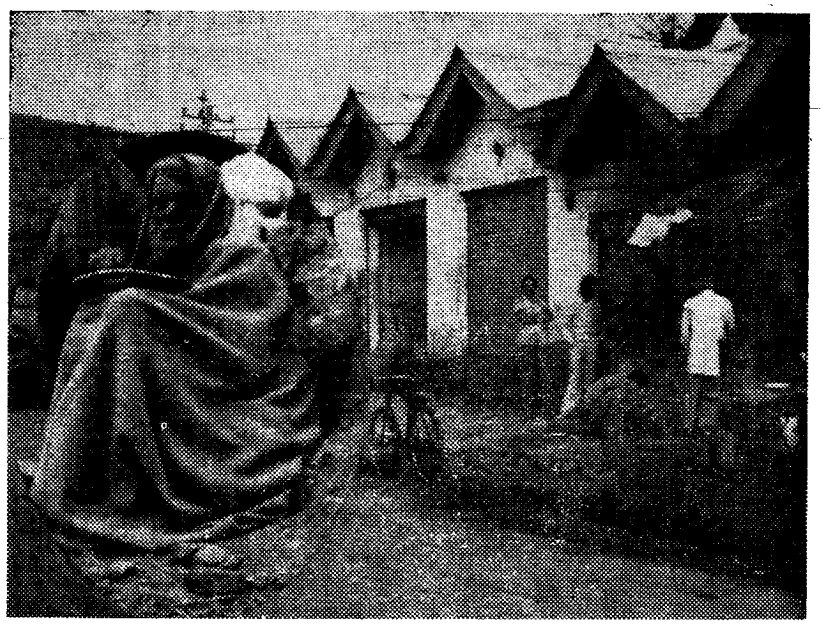

जम्मू और कश्मीर में गूजरों की कुल संख्या लगभग 14 लाख है । यद्यपि य असंख्य उपजातियों में विभाजित हैं किन्तु इनकी तीन मुख्य जाति हैं—गोरसिस, कसनास (कुषाण) और बरकत । ये सभी तीन श्रेणियों में आते हैं—अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, बकरवाल और दोधी (बनिहार) । जिन गूजरों के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन है वे सिर्फ खेती ही करते हैं और घी आदि भी बेचकर अपना गुजारा करते हैं । छोटे किसान तथा थोड़ी जमीन वाले बकरवाल गर्मियों में कश्मीर घाटी के चरागाहों की ओर चले जाते हैं तथा जाड़ों में मैदानी इलाकों में लौट आते हैं । करीब दो प्रतिशत बकरवाल ही भूमिहीन बंजारे हैं ।

बकरवाल ऊन, मेढ़े, तथा बकरियां बेचकर अपनी जीविका कमाते हैं । बनिहार दूध, घी आदि बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं । इनमें से अधिकांश के पास छः सात भेड़, पांच छः गांएं, एक जोड़ी भैंस तथा थोड़ी सी जमीन होती है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले राज्य सरकार में गूजरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था । राज्य की सशस्त्र सेना का नेतृत्व गूजर करते थे । इनमें से कुछेक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, पुलिस स्वास्थ्य निरीक्षक और कुछ अधिकारी और प्राध्यापक रह चुके हैं । पर बहुत से अभी भी निरक्षर, गरीब और पिछड़े हैं । उनमें से कुछ को तो 20 तक गिनती भी नहीं आती । इसी अज्ञानता के कारण उनको चीजें बेचने में काफी परेशानी और घाटा उठाना पड़ता है । इसके अलावा वे कर्जे के बोझ से सदैव लदे रहते हैं ।

उनकी दीन अवस्था सुधारने के लिए एक अलग योजना बनाई गई । सरकार ने इस कार्य के अिए 13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और 10 करोड़ रुपये की एक विशेष उपयोजना इनके लिए तैयार की गई। इस योजना को लागू करने का काम 1976 में शुरू किया गया ।

अब वे शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं और वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं । सरकार ने इन गूजरों के बच्चों के लिए चलते-फिरते स्कूलों की व्यवस्था की है । जिला मुख्यालयों में प्रारंभिक कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले गूजर और पिछड़े वर्ग के लिए छात्रावास खोले गए हैं । इन छात्रावासों में 100 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था है । राजौरी छात्रावास में 106 विद्यार्थी रह रहे हैं । उनका खाना मुफ्त है । तीसरी कक्षा तक पढ़ने वाले गूजर बच्चे को कपड़ों के लिए 60 रु० दिए जाते हैं और उनकी फीस माफ होती है । पुंछ जिले में इन दो मदों पर 1982–83 में 48 हजार रु० खर्च आए ।

राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज श्रीनगर में गूजर और बकरवाल छात्रों के लिए दो प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं ।

प्रत्येक बेघर गूजर को मकान बनाने के लिए 3 हजार रु० की सहायता और मकान मरम्मत के लिए 700 रु० दिए जाते हैं । पुंछ में 1982–83 में इस मद में एक लाख 54 हजार रु० वितरित किए गए । बेघरों को मकान बनाने हेतु जमीन दी गई है । पशु और भेड़ पालन विभाग ने इनके जानवरों के लिए एक चलता-फिरता पशु अस्पताल भी खोला है ।

शिक्षा, जनसंचार और सरकारी सहायता से धीरे-धीरे गूजरों के जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है । उनके रहन-सहन की आदतों में भी परिवर्तन आता जा रहा है । वे और उनके जानवर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक साफ-सुथरे व स्वस्थ हैं । कहीं-कहीं ये गूजर दुकानदारी और व्यापार भी करने लगे हैं । सरकार ने राजौरी और पुंछ में विशेष बिक्री केंद्र खोले हैं और ऐसे कई केंद्र और खोले जा रहे हैं जहां दुकान सिर्फ गूजरों को ही दी जाती है । अब गूजर दर्जी या पंसारी कहीं भी देखे जा सकते हैं । □

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।

RN 708
P & T Regd. No. D (DN)
Licenced under U (DN)-
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, De

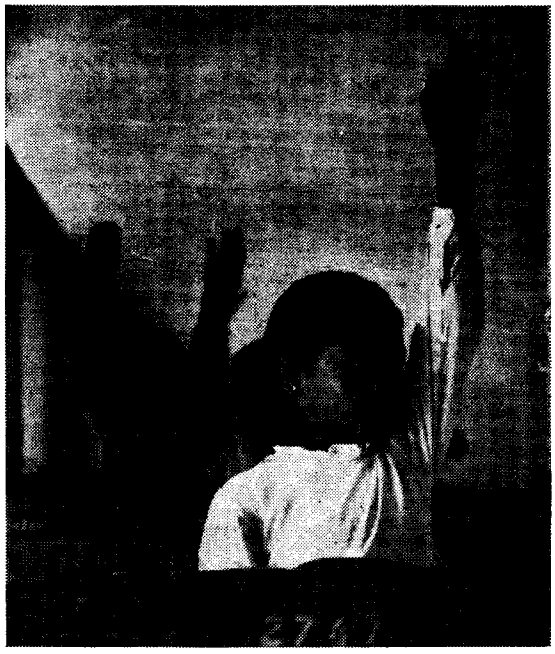

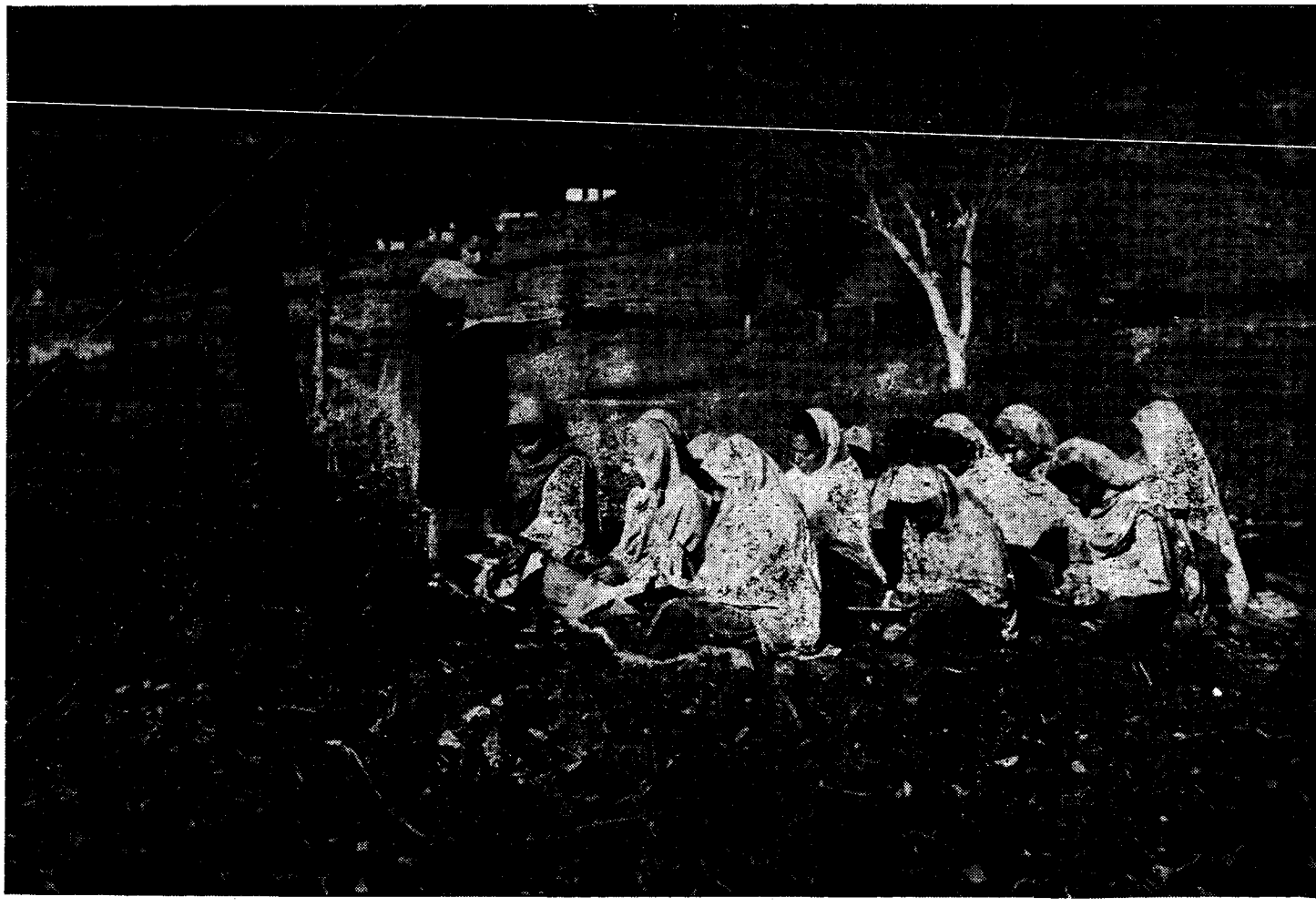

गांवों में साक्षरता को प्रोत्साहन